पत्रिका के लिए सम्पर्क

मध्यप्रदेश

सौसर	- लीलाधर सोमकुवर	8878577473
	मोरेश्वर रंगारे	9617145254
पांढुर्णा	- सुभाष सहारे	9753899561
	राजेन्द्र सोमकुवर	9893378559
बोरगाव (रेमण्ड)	अशोक कडबे	9424938454
सिवनी	- पी.सी. टेम्भरे	9425426500
जबलपुर	- एल.एम.खोब्रागडे	9685572100
	डोमाराव खातरकर	9770026154
भोपाल	- राहुल रंगारे	9893690451
सिहोर	- रवीन्द्र बांगरे	9425842508
छिन्दवाड़ा	- एस.सी.भाऊरजार	9893880415
सारणी	- किरण तायडे	9407282113
गुना	- लक्ष्मणसिंह बौद्ध	9827309472
दतिया	- आशाराम बौद्ध	9893997750
मंडला	- अमरसिंग झारीया	9993881515

छत्तीसगढ़

चरोदा (भिलाई)	- मोरश्वर मेश्राम	9827871848
रायपुर	- सुनील गणविर	9753232894
राजनांदगाव	- रामप्रसाद नंदेश्वर	8103907945
बिलासपुर	- हरीश वाहाने	9424169477
चाम्पा	- संजीव सुखदेवे	9425575730
सारंगढ़	- नरेश बौद्ध	7828173910

उत्तरप्रदेश

लखनऊ	- निगमकुमार बौद्ध	9415750896
मोठ(झांसी)	- महेश गौतम	9452118038
आगरा	- जितेन्द्र प्रसाद	9927256608
झांसी	- अमरदीप	9695529570

महाराष्ट्र

नागपुर	- दादाराव वानखेडे	9423102300
जाफराबाद	- बुद्धप्रिय गायकवाड	9764538108
अमरावती	- बापू बेले	9403593773
मोर्शी	- देवेन्द्र खांडेकर	9370197740
पुणे	- प्रशांत घंघाळे	9765915686
मूल	- हंसराज कुंभारे	9763694293
मुम्बई	- राजु कदम	9224351635
वरोरा	- भाऊराव निरंजने	7875902211
चंद्रपुर	- रामभाऊ वाहाने	9421879386
ब्रह्मपुरी	- प्रा. एस.टी.मेश्राम	9766938647

त्रैमासिक
प्रज्ञा प्रकाश

अनुक्रमणिका

- संपादकीय 02
- क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति - बाबासाहेब आंबेडकर..... 03
- बुद्ध और उनका धम्म

  कुलीनों तथा पवित्रों की धम्म -दीक्षा.....09
- वर्तमान घटनाक्रम..... 16
- न्यायपालिका 25
- समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम 27
- समिति के आगामी कार्यक्रम 29

त्रैमासिक
प्रज्ञा प्रकाश

नियमित पढ़िए और दूसरों को पढ़ने दें.
क्योंकि यह भी एक समाजकार्य है.

प्रज्ञा प्रकाश की वार्षिक सदस्यता - रू. 80

सदस्यता राशि इस पते पर भेजें
ह्रदेश सोमकुवर,
सम्पादक
'प्रज्ञा प्रकाश' 363, बाबा बुद्धाजी नगर,
कामठी रोड, नागपुर-440 017.

अगले अंक से 'प्रज्ञा प्रकाश' का मुल्य रू. 20/- होगा। तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 80/- होगा।

संपादकीय

हालही में भारत के 5 राज्यों में चुनाव सम्पन्न हुये। घोषित परिणामों के अनुसार 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को तथा 1 राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिला है। भाजपा ब्राह्मणवाद को विकसित कर रही है और कांग्रेस उसे संरक्षण प्रदान करती है। इन दो ब्राह्मणवादी पार्टियों के अलावा अन्य तिसरा विकल्प नहीं था। बहुसंख्यक लोगों की हिन्दू मानसिकता के कारण बहुजन समाज पार्टी प्रभावी नहीं बन पायी। इसलिए तात्कालिक मुद्दों के आधार पर भाजपा को बहुमत मिला है।

दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी 28 सीटे हासिल कर दूसरे स्थान पर है। भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी ज्वलंत समस्याओं को मुद्दे बनाकर सामान्य नागरिक को भरोसा दिलाने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सफल रहे। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। उनका मूल उद्देश्य जनलोकपाल बिल पारित करवाना है। अन्ना हजारे ने भी इस बिल को पास कराने हेतु रालेगांव सिद्धि में फिर उपोषण शुरू किया है। यह लोग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु इस बिल की मांग कर रहे है। परन्तु क्या जनलोकपाल बिल लागू होने से इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से नहीं है। जनलोकपाल बिल लागू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा परंतु यह समाप्त नहीं होगा। इसलिए जनलोकपाल बिल भ्रष्टाचार का स्थायी निदान नहीं है। यदि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है तो भ्रष्टाचार का स्थायी निदान आवश्यक है। यह निदान केवल बुद्ध की शिक्षा में है। केवल भ्रष्टाचार का ही नहीं तो संसार की सारी बुराईयों का निदान बुद्ध की शिक्षा में है। इस देश के हिन्दू समाज सेवक और राजनेता अंधेरी कोठरी में रोशनी तलाशने की कोशिश कर रहे है, जो असंभव है। उन्हें अंधेरी कोठरी के बाहर आना ही होगा तभी रोशनी मिल सकती है। केवल उन्हें ही नहीं तो हर उस भारतीय को जो रोशनी को पाना चाहता है उसे इस अंधेरी कोठरी को त्यागना होगा अर्थात् हिन्दू धर्म को त्यागना होगा। जिसप्रकार कोई दूषित वायु के स्रोत को बंद किए बगैर शुद्ध वायु की अपेक्षा करता हो उसप्रकार की स्थिति हिन्दू समाजसेवकों की है। इसे जनता ने अच्छी तरह समझना जरूरी है।

यदि हर बुराई को स्थायी रूप से समाप्त करना है तो बुद्ध धम्म को स्वीकार करना ही होगा। बुद्ध धम्म की आधारभूत शिक्षा है-पंचशील, अष्टांगमार्ग, पारमिता। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा यह प्रथम शील है। यह अहिंसा की शिक्षा देता है। बुद्ध वचन है कि, हम सभी से प्रेम करे तो हमसे हिंसा नहीं होगी। यदि हम सभी भारतवासी आपस में प्रेम करे तो न कोई भेदभाव होगा, न कोई लूट होगी न कोई भ्रष्टाचार होगा और न किसी प्रकार की अन्य बुराई होगी। दूसरा शील है, मैं चोरी नहीं करूंगा। अष्टांग मार्ग का 'सम्यक आजीविका' यह अंग सिखाता है कि, बिना किसी को हानी पहुंचाये और बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाना। यदि हर किसी के द्वारा इनका पालन किया जाय तो हमारे दशे में भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। इसीप्रकार सभी शीलों का तथा अष्टांग मार्ग का सभी भारतीयों ने पालन किया तो इस देश से सारी बुराइयां, सारे अन्याय, सारी अमानवीयता समाप्त हो जाएगी। भारत सदाचारी, सुखी और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। इसलिए हर राष्ट्र प्रेमी का यह कर्तव्य है कि इस सच्चाई को समझे और भारत बौद्धमय करने का कार्य पूरी क्षमता के साथ प्रारम्भ करे।

मैं संपूर्ण भारत बौद्धमय करूंगा !

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

गतांक से आगे...

5.

बुद्ध धम्म की अवनति तथा पतन

भारत से बुद्ध धम्म के लोप हो जाने पर उन सभी लोगों को अत्यधिक आश्चर्य होता है, जिन्होंने इस विषय पर कुछ चिंतन किया है और उन्हें इसकी ऐसी स्थिती देखकर दुख भी होता है। परंतु यह चीन, जापान, बर्मा, इंडोचीन, श्रीलंका तथा मलाया द्विप-समूह में कहीं-कहीं अभी विद्यमान है। केवल भारत में ही इसका अस्तित्व नही रहा है। भारत में केवल इसका अस्तित्व ही समाप्त नही हुआ, बल्कि बुद्ध का नाम भी अधिकांश हिंदुओ के दिमाग से निकल गया है। ऐसा कैसे हो गया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई संतोष जनक उत्तर नही मिलता है। केवल यही बात नही है कि इसका कोई संतोषजनक उत्तर नही है, बल्कि किसी भी व्यक्ति ने इसके संतोषजनक उत्तर को ढूंढने को प्रयास भी नही किया है। इस विषय पर विचार करते समय लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को भूल जाते है। यह अंतर बौद्ध धर्म की अवनति और पतन के बीच का है। दोनों में अंतर रखना आवश्यक है। बौद्ध धर्म का पतन एक ऐसी बात है जो उन कारणो से भिन्न है, जिनसे इसकी अवनति हुई है। पतन के कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब कि अवनति के कारण उतने स्पष्ट नही है।

इसमें कोई संदेह नही है कि भारत में बुद्ध धम्म का पतन मुलसमानों के आक्रमणों के कारण हुआ था। इस्लाम 'बुत' के शत्रु के रुप में प्रकट हुआ। 'बुत' शब्द, जैसा कि लोग जानते है, अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ 'मुर्ति' है। तथापि, बहुत से लोगों को यह पता नही है कि 'बुत' शब्द की व्युपत्ति कहां से हुई है। 'बुत' शब्द अरबी भाषा में बुद्ध का बिगड़ा हुआ रुप है। इस प्रकार इस शब्द की व्युत्पत्ति से यह पता चलता है कि मुसलमान विचारकों की दृष्टि में मुर्तिपूजा और बुद्ध धम्म, दोनों एक-दूसरे के पर्याय है। मुसलमानों के लिए मुर्तिपूजा तथा बुद्ध धम्म एक जैसे ही थे। इस प्रकार मुर्तिभंजन करने का लक्ष्य, बुद्ध धम्म को नष्ट करने का लक्ष्य बन गया। इस्लाम ने बुद्ध धम्म को मिटाने में कोई कसर नही छोड़ी। वह इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से पहले बुद्ध धम्म बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, गांधार तथा चीनी, तुर्किस्तान का धर्म था और एक प्रकार से यह धर्म समुचे एशिया में फैला हुआ था। इन सब देशों में इस्लाम ने बुद्ध धम्म को नष्ट किया। जैसा कि विन्सेंट स्थित ने कहा है :

''मुसलमान आक्रमणकारियों ने अनेक स्थानों पर जो भीषण हत्याकांड किए, वे रुढ़िवादी हिंदूओं द्वारा किए गए अत्याचारों से कही अधिक प्रबल थे और भारत के कई प्रांतो से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के लिए भारी जिम्मेदार है।''

इस स्पष्टिकरण से सब लोग संतुष्ट नही होंगे। यह पर्याप्त नही लगता। इस्लाम ने ब्राह्मणवाद तथा बुद्ध धम्म दोनों पर आक्रमण किया। यह पुछा जा सकता है कि उनमें से एक जीवित क्यों रहा और दूसरा नष्ट क्यों हो गया? यह तर्क युक्तिसंगत तो लगता है, परंतु इससे उक्त सिद्धांत का खंडन नही होता। ब्राह्मणवाद जीवित रहा था उसका अस्तित्व बना रहा। इस बात को स्विकार करने का अभिप्राय यह नहीं है कि बुद्ध धम्म का पतन इस्लाम की तलवार की धार, अर्थात उनके आक्रमणों के कारण नही हुआ। इसका अभिप्राय केवल यह है कि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, जिनके कारण इस्लाम के आक्रमण के सामने ठहरना व जीवित रहना ब्राह्मणवाद के लिए तो संभव था, लेकिन बौद्ध धम्म के लिए असंभव हो गया था।

जो लोग इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे, उनको यह पता चलेगा कि उस समय तीन ऐसी विशेष परिस्थितियां थी, जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणों के संकट के सामने ब्राम्हणवाद को टिका व बने रहना संभव और बौद्ध धम्म के लिए असंभव बना दिया था। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम आक्रमणों के समय ब्राम्हणवाद को राज्य की

सहायता व समर्थन प्राप्त था। बुद्ध धम्म को ऐसी कोई सहायता व समर्थन प्राप्त नही था। तथापि, जो बात अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि ब्राम्हणवाद को राज्य की सहायता व समर्थन तब तक प्राप्त रहा, जब तक इस्लाम एक शांत धर्म के रुप में विकसित नही हुआ और उसके अंदर मुर्तिपूजा के विरुद्ध एक लक्ष्य के रुप में प्रारंभ में उन्माद की जो ज्वाला जल रही थी, समाप्त नही हुई। दुसरी बात यह है कि इस्लाम की तलवार ने बौद्धों के पौरोहित्य को बुरी तरह नष्ट कर दिया और उसे फिर से जीवित नही किया जा सका। इसके विपरित ब्राम्हणवादी पौरोहित्य को मिटाना व नष्ट करना इस्लाम के लिए संभव नही हुआ। तीसरी बात यह है कि भारत के ब्राम्हणवादी शासकों ने बौद्ध जनसाधारण पर अत्याचार किए। उनके इस अत्याचार व उत्पीड़न से बचने के लिए भारत के बौद्ध लोगों को बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम को अंगीकार करना पड़ा और उन्होंने बुद्ध धम्म को सदा के लिए छोड़ दिया।

इनमें से कोई भी ऐसा तथ्य नही है, जिसकी पुष्टि इतिहास न करता हो।

भारत के जो प्रांत मुस्लिम प्रभुत्व व शासन के अधीन आए थे, उनमें सिंध पहला प्रांत था। इस प्रांत पर पहले एक शुद्र राजा का शासन था। परंतु बाद में उसे एक ब्राम्हण ने अपने राज्य में मिला लिया। वहां उसके वंश का शासन रहा। सन 712 में जब इब्ने कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया तो उस समय उसके द्वारा ब्राम्हणवादी धर्म की सहायता करना स्वाभाविक था। सिंध का शासक दाहिर था। इस दाहिर का संबंध ब्राम्हण शासकों के वंश से था।

ह्वेनसांग ने स्वयं अपनी आंखो से यह देखा था कि उसके समय में पंजाब पर एक क्षत्रिय बौद्ध राजवंश का शासन था। इस राजवंश ने पंजाब पर लगभग सन 880 तक शासन किया। इसके बाद उस राज्य को लल्लिया नामक एक ब्राम्हण सेनाध्यक्ष ने अपने अधीन कर लिया था, जिसने ब्राम्हणशाही राजवंश की स्थापना की। इस वंश ने पंजाब पर सन 880 से 1021 तक शासन किया। इस प्रकार यह दिखाई पड़ेगा कि जिस समय सुबुक्तगीन तथा मौहम्मद ने पंजाब पर आक्रमण आरंभ किए थे, तब तब देशी शासक ब्राम्हण धर्मावलंबी थे और जयपाल (960-980 ई) आनंदपाल (980-1000 ई) तथा त्रिलोचनपाल (1000-21ई) ब्राम्हण धर्मावलंबी शासक थे। सुबुक्तगीन तथा मोहम्मद के साथ इनके संघर्ष के बारे में हमने बहुत पढ़ा है।

मध्य भारत मुस्लिम आक्रमणों से ग्रस्त रहने लगा था। ये आक्रमण मोहम्मद के समय से आरंभ हुए थे और शहाबुद्दीन गौरी के नेतृत्व में जारी रहे। उस समय मध्य भारत में अलग-अलग राज्य थे। मेवाड़ (अब उदयपूर) पर गहलौतों का शासन था, सांभर (अब बूंदी, कोटा तथा सिरोही में विभक्त) पर चौहानों का शासन था, कनौज पर प्रतिहार, धार पर परमार, बुंदेलखंड पर चंदेल, अन्हिलवाड़ पर चावड़ा और चेदि पर कलचुरि शासन करते थे। इन सभी राज्यों के शासक राजपूत थे और राजपूत कुछ कारणों से, जो रहस्यपूर्ण है और जिनकी मैं बाद में चर्चा करुंगा, ब्राम्हणवादी धर्म के सबसे कट्टर समर्थक थे।

इन आक्रमणों के समय बंगाल दो राज्यों, पूर्वी तथा पश्चिम में, विभक्त हो गया। पश्चिम बंगाल पर पाल वंश के राजाओं का शासन था और पूर्वी बंगाल पर सेन वंश के राजाओं का शासन था।

पाल क्षत्रिय थे। वे बौद्ध धर्मावलंबी थे, परंतु श्री वैद्य के शब्दों में, शायद वे केवल प्रारंभ में या नाम मात्र के लिए बौद्ध थे।' सेन राजाओं के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। डॉ. भंडारकर का कहना है कि ये सब ब्राम्हण थे, जिन्होंने क्षत्रियों के सैनिक व्यवसाय को अपना लिया था। श्री वैद्य इस बात को बलपूर्वक कहते है कि सेन राजा आर्य क्षत्रिय या चंद्रवंशी राजपूत थे। कुछ भी हो, इसमें संदेह नही है कि राजपूतों की भांति सेन सनातन या रुढ़िवादी धर्म के समर्थक थे।

नर्मदा नदी के दक्षिण में, मुस्लिम आक्रमण के समय चार राज्य विद्यमान थे- 1) पश्चिमी चालुक्यों का दक्कन राज्य, (2) चोलो का दक्षिण राज्य, (3) पश्चिमी तट पर कोंकण में सिलहाड़ा राज्य, तथा (4) पूर्वी तट पर त्रिकलिंग का गंग राज्य। ये राज्य सन 1000-1200 के दौरान समृद्ध हुए। यही समय मुस्लिम आक्रमणों का था। उनके अधीन कुछ सामंती राज्य थे। ये राज्य 12 वीं, शताब्दी में पुनः शक्तिशाली हो गए और 13 वीं शताब्दी में स्वतंत्र तथा शक्ति-संपन्न हो गए थे। ये राज्य है- (1) देवगिरी जिस पर यादवों का शासन, (2) वारंगल जिस पर काकतीय वंश का शासन, (3) हैयबिड पर होयसल वंश का शासन, (4) मदुरा पर पांड्य वंश का शासन, तथा (5) त्रावणकोर पर चेर वंश के राजाओं का शासन था।

ये सब शासक रुढ़िवादी ब्राम्हण धर्म के अनुयायी थे।

भारत पर मुस्लिम आक्रमण सन 1001 में आरंभ हो गए थे। इन आक्रमणों की अंतिम लहर सन 1296 में दक्षिण भारत में पहुची, जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य को अपने अधीनस्थ बनाया। भारत पर मुस्लिम विजय वास्तव में सन 1296 तक पुरी नही हुई थी। अधीन बनाने के लिए ये युद्ध मुस्लिम विजेताओं तथा स्थानिय शासकों के बीच चलते रहे, जो यद्यपि पराजित हो गए थे, पर अधीन नही हुए थे। परंतु जिस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वह यह है कि मुसलमानों के इन विजय-युद्धों की 300 वर्ष की इस अवधि के दौरान सारे भारत पर ऐसे राजाओं का शासन था, जो ब्राम्हण धर्म के रुढ़िवादी व सनातन मत को मानते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा आहत ब्राम्हण धर्म सहायता तथा समर्थन के लिए शासकों की ओर देख सकता था और वह मिला भी। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा पराजित तथा आहत बुद्ध धम्म के पास ऐसी कोई आशा की किरण नही थी। वह अनाथ बन चुका था। उसका कोई संरक्षक नही था। वह देशी शासको की उपेक्षा के शीत झोंको में मुरझा गया और विजेताओं द्वारा आक्रमणों की प्रज्ज्वलित अग्नि में जलकर नष्ट हो गया।

मुसलमान आक्रमणकारियों ने जिन बौद्ध विश्वविद्यालयों को लूटा, इनमें कुछ नाम नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दल, ओदंतपुरी के विश्वविद्यालय है। उन्होंने बुद्ध विहारों को भी तहस-नहस कर दिया, जो सारे देश में स्थित थे। हजारों की संख्या में भिक्षु भारत से बाहर भागकर नेपाल, तिब्बत और कई स्थानों में चले गए। मुसलमान सेनापतियों ने बहुत बड़ी संख्या में भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। बौद्ध भिक्षुओं को मुसलमान आक्रमणकारियों ने अपनी तलवार से किस प्रकार नष्ट किया, उसका वर्णन स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है। मुसलमान सेनापति ने बिहार में सन 1197 में अपने आक्रमण के दौरान बौद्ध भिक्षुओं की किस प्रकार हत्यांए की, इसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए विन्सेंट स्मिथ लिखते हैः

''बार-बार लूटमार और आक्रमणों के कारण बिहार में जिस मुसलमान सेनापति का नाम पहले ही आतंक बन चुका था, उसने एक झटके में ही यहां राजधानी पर कब्जा कर लिया। लगभग उन्हीं दिनों एक इतिहासकार की भेंट सन 1243 में आक्रमण करने वाले दल के एक व्यक्ति से हुई। उससे उसको यह पता चला था कि बिहार के किले पर केवल दो सौ घुड़सवारों ने बेखटके, निधड़क होकर पिछले द्वार से धावा बोला और उस स्थान पर अधिकार कर लिया था। उन्हें लूट में भारी मात्रा में माल मिला और 'सिर मुंडे ब्राम्हणों' अर्थात बौद्ध भिक्षुओं की इस प्रकार से हत्या करके उनका सफाया कर दिया था कि जब विजेता ने मठों व विहारों के पुस्तकालयों में पुस्तकों की विषय वस्तु को समझाने व स्पष्ट करने के लिए किसी योग्य व सक्षम व्यक्ति की तलाश की, तो ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति नही मिला जो उनको पढ़सकता। हमें यह बताया गया कि बाद में यह पता चला था कि समुचा दुर्ग तथा नगर एक महाविद्यालय (कालिज) था। हिंदी भाषा में महाविद्यालय को वे विहार कहते थे।''

इस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं का मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संहार किया गया। उन्होंने जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारी। धम्मोपदेष्टा की हत्या कर इस्लाम ने बुद्ध धम्म की ही हत्या कर दी। यह एक घोर संकट था, जो भारत में बुद्ध धम्म के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। किसी अन्य विचारधारा की भांति धर्म की स्थापना केवल प्रचार द्वारा ही की जा सकती है। यदि प्रचार असफल हो जाए तो धर्म भी लुप्त हो जाता है। पुजारी वर्ग वह चाहे जितना भी घृणास्पद हो, धर्म के प्रवर्तन के लिए आवश्यक होता है। धर्म-प्रचार के आधार पर ही रह सकता है। पुजारियों के बिना धर्म लुप्त हो जाता है। इस्लाम की तलवार ने पुजारियों पर भारी आघात किया। इससे वह या तो नष्ट हो गया या भारत के बाहर चला गया। बौद्ध धर्म के दीपक को प्रज्ज्वलित रखने के लिए कोई भी जीवित नही बचा।

कहा जा सकता है कि वही बात ब्राम्हणवादी पौराहित्य के संबंध में भी हुई होगी। ऐसा होना संभव है, भले ही उस सीमा तक नही हो। परंतु यह अंतर इन दोनों धर्मों के संगठन में रहा और यह अंतर इतना बड़ा है कि इसी कारण ब्राम्हण धर्म तो मुसलमानों के आक्रमण के बाद भी बचा रहा, परंतु बुद्ध धम्म नही बच सका। ये अंतर पुरोहित वर्ग से संबंधित है।ब्राम्हणवादी पौरोहित्य का एक बहुत ही विस्तृत व व्यापक संगठन रहा है। इसका स्पष्ट किंतु संक्षिप्त विवरण सर रामकृष्ण भंडारकर ने (इंडियन एंटिक्वैरी) में दिया है।1 उन्होंने लिखा है :

'प्रत्येक ब्राम्हण परिवार में किसी न किसी वेद या वेद की एक विशेष शाखा का नियमापूर्वक वास होता है गौर उस परिवार के घरेलू संस्कार उस वेद से संबंधित सूत्र में वर्णित

विधी के अनुसार संपन्न किए जाते है। उसके लिए उस विशेष वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करना अनिवार्य होता है। उत्तरी भारत में मुख्यतः शुक्ल यजुर्वेद की प्रधानता है। यहां कि शाखा मध्यंदिन है। लेकिन इसका पाठ आदि लगभग समाप्त हो चुका है। अब यह केवल बनारस में ही रह गया है। यहां पर भारत के सभी भागों से आकर ब्राम्हण परिवार बस गए।

कुछ सीमा तक यह पद्धति गुजरात में प्रचलित है। परंतु ये उससे अधिक महाराष्ट्र में प्रचलित है और तेलंगाना में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ब्राम्हण है, जो आज भी इसके अध्ययन में लगे हुए है। इनमें से बहुत से ब्राम्हण देश के सभी भागों में दक्षिणा (शुल्क-भिक्षा) लेने के लिए जाते है और देश के खाते-पीते संपन्न लोग अपने साधनों के अनुसार उनको सहायता प्रदान करते है। वे उनसे अपने से संबंधीत वेद के अंशो को सुनते है। यह अधिकांशतः कृष्ण यजुर्वेद और सुत्र आपस्तम्ब होता है। यहां बंबई में कोई भी सप्ताह ऐसा नही जाता जब तेलंगाना से कोई ब्राम्हण मेरे पास दक्षिणा मांगने के लिए न आता हो। प्रत्येक अवसर पर मैं उन लोगों से जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, उसका पाठ सुनता हूं और अपने पास रखे मुद्रित मूल पाठ के साथ उसका मिलान व तुलना करता हूं।'

'अपने व्यवसाय के अनुसार प्रत्येक वेद के ब्राम्हण सामान्यतः दो वर्गों में विभक्त हैं- गृहस्थ और भिक्षु। गृहस्थ स्वयं सांसारिक व्यवसाय में लगे रहते है, जब कि भिक्षु इन पवित्र पुस्तकों व ग्रंथो के अध्ययन में तथा धार्मिक अनुष्ठान करने में अपना समय व्यतीत करते है।'

'इन दोनों वर्गों के लोगो को प्रतिदिन संध्या-वंदन अथवा सुबह-श्याम प्रार्थना करनी होती है, इनके रुप विभिन्न वेदों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते है। परंतु 'तत्सवितर्वरेण्यम गायत्री मंत्र' का पाठ पांच बार, फिर अठाईस बार या एक सौर आठ बार करना सबके लिए सामन्य बात है, यह पाठ प्रत्येक धर्मानुष्ठान का मुख्य अंग होता है।'

'इसके अलावा, बहुत से ब्राम्हण प्रतिदिन एक अनुष्ठान करते है, जिसे ब्रम्हयज्ञ कहते है। यह कुछ अवसरों पर सबके लए आवश्यक होता है। यह ऋग्वेद के लिए होता है। इसमें प्रथम मंडल का प्रथम स्त्रोत, ऐतरेय ब्राम्हण का उपोद्घात, ऐतरेय आरण्यक के पांच मंडल, यजुः संहिता, साम-संहिता, अथर्व-संहिता, आश्वलायन कल्प सूत्र, निरुक्त, खंड, निघंटू, ज्योतिष, शिक्षा, पाणिनि, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत और कणाद, जैमिनी तथा बादरायण के सूत्र सम्मिलित होते है।'

यह बात याद रखने की है अनुष्ठान के मामले में 'भिक्षु' तथा गृहस्थ में कोई अंतर व भेद नही होता। ब्राम्हण धर्म में दोनों ही पुरोहित है और एक गृहस्थ एक पुरोहित के रुप में अनुष्ठान कने के लिए भिक्षु से किसी भी तरह से कम सुपात्र नहीं होता। यदि कोई गृहस्थ एक पुरोहित के रुप में अनुष्ठान का कार्य नही करता, तो इसका कारण यह होता है कि उसने मंत्रो तथा धार्मिक अनुष्ठानों में विशेषता प्राप्त नही की है या वह इसकी अपेक्षा कुछ और अधिक लाभप्रद व्यवसाय करता है। ब्राम्हण धर्म में प्रत्येक ब्राम्हण में जो बहिष्कृत नही है, पुरोहित होने की क्षमता होती है। भिक्खु वास्तविक पुरोहित होता है और गृहस्थ संभावित पुरोहित होता है। प्रत्येक ब्राम्हण पुरोहित बन सकता है। इसके अलावा, ब्राम्हण के लिए एक पुरोहित या पुजारी के रुप में कार्य के लिए कोई प्रशिक्षण या दिक्षा आवश्यक नही होती। पुरोहित या पुजारी का कार्य करने के लिए उसकी इच्छा ही पर्याप्त होती है इस प्रकार ब्राम्हण धर्म में पौरोहित्य कर्म कभी भी समाप्त नही हों सकता। प्रत्येक ब्राम्हण पुरोहित हो सकता है और उसे आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य में प्रवृत्त किया जा सकता है, लम्पट से लम्पट व्यक्ति के जीवन तथा प्रगति को रोकने वाली कोई चीज नही है। बुद्ध धम्म में यह संभव नही है। उपासक या धर्मोपदेष्टा का कार्य करने से पहले उसे पहले से अभिषिक्त भिक्षुओं द्वारा स्थापित संस्कारो के अनुसार अभिषिक्त किया जाना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं के संहार के बाद यह अभिषेक असंभव हो गया था, जिससे बौद्ध धर्मोपदेष्टा का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। बौद्ध धर्मोपदेष्टा के अभाव को भरने के लिए प्रयास किया गया। सभी उपलब्ध स्त्रोतों से बौद्ध धर्मोपदेष्टा का वर्ग तैयार करना पड़ा। वे निश्चय ही सर्वोत्तम नही थे। हर प्रसाद शास्त्री का मत है :

'भिक्खु के अभाव से बौद्ध धर्मोपदेष्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। विवाहित पुरोहित वर्ग ने, जो परिवार वाला था और आर्य कहलाता था, मर्यादित भिक्षुओं का स्थान ले लिया और उसने सामान्य रुप से बौद्धों के धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करना आरंभ कर दिया। उन्हें कुछ अनुष्ठान करने के बाद सामन्य भिक्षुओं की प्रतिष्ठा दी जाने लगी (भुमिका-पृष्ठ 19-7, तथाकर गुप्त की पुस्तक आदि कर्म रचना 149,

पृ 1207-1208) वे धार्मिक अनुष्ठन करते, परंतु साथ

ही राजगीर, रंगसाज, मूर्तिकार, सुनार तथा बढ़ई जैसे व्यवसाय करके अपना जीविकोपार्जन करते। ये कारीगर व शिल्पकार पुरोहित जिनकी संख्या बाद में मर्यादित भिक्खु की तुलना में काफी अधिक हो गई, लोगो के धार्मिक मार्गदर्शक हो गए। अपने व्यवसाय के कारण उनके पास विद्या व ज्ञान प्राप्ति के लिए, गंभीर मनन व विचार के लिए, तथा ध्यान करने एवं अन्य आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत कम समय बचता था और इसमें उनकी रुचि भी नही रही थी। उनसे यह आशा नही की जा सकती थी कि वे अपने प्रयास से ह्रासोन्मुख बुद्ध धम्म की कोई उच्चतर स्थिती प्रदान कर सकेंगे। उनसे यह आशा भी नही की जा सकती थी कि वे तत्कालीन स्थिती में थोड़ा सुधार कर बुद्ध धम्म को समाप्त होने से रोक सकते थे।''

यह बात स्पष्ट है कि इन नए बौद्ध भिक्षुओं में न तो कोई गरिमा थी और न ही वे ज्ञानवान ही थे। ब्राम्हण पुरोहितों की तुलना में वे हीन थे, जो इनके प्रतिद्वंद्वी होते थे और जो विद्वान होते थे और उतने ही चतुर भी।1

ब्राम्हण धर्म विनाश के गर्त में डुबने से क्यों बच गया और बुद्ध धम्म क्यों नही बच सका, इसका कारण यह नही है कि बुद्ध धम्म की अपेक्षा ब्राम्हण धर्म में कोई श्रेष्ठता अंतर्निहित रही। इसका कारण उसके पुरोहितों का विशिष्ट चरित्र रहा। बुद्ध धम्म इसलिए समाप्त हुआ, क्योंकि उसके पुरोहितों का वर्ग ही नष्ट हो गया था और उसे फिर से जीवित करना संभव नही था। यद्यपि ब्राम्हण पुरोहित व पुजारी बन गया था और उसने अपने पूर्वज प्रत्येक ब्राम्हण पुरोहित का स्थान ग्रहण कर लिया था।

इसमें कोई संदेह नही हो सकता कि बुद्ध धम्म के पतन का एक कारण, बौद्ध लोगों द्वारा इस्लाम धर्म को स्विकार कर लेना भी था।

प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ सेन ने भारतीय इतिहास काँग्रेस के प्रारंभिक मध्यकालिन तथा राजपूत अध्ययन खंड की गोष्ठि में, जो सन 1938 में इलाहाबाद में हुई थी, अपने अध्यक्षीय भाषण में यह बात बहुत सटीक व सही कही थी कि भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधीत दो समस्याएं है, जिनका अभी तक कोई भी संतोषजनक उत्तर नही मिल सका है। उन्होंने दो समस्याओं का उल्लेख किया, पहली राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधीत है। दूसरी, भारत में मुस्लिम जनसंख्या के विस्तार से संबंधीत है। दूसरी समस्या के संबंध में उन्होंने कहा :

''परंतु मुझे एक प्रश्न पर विचार करने की अनुमति दी जाए, जो आज पूर्णतया पुरातत्व विषयक रुचि का नही है। भारत में मुस्लिम जनसंख्या के विस्तार के संबंध में कुछ स्पष्टिकरण की आवश्यकता है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि इस्लाम का विस्तार उसकी विजय के साथ-साथ हुआ और जिन लोगों को अधीनस्थ बनाया गया, उनको इस्लामी शासकों का धर्म स्विकार करने के लिए बाध्य किया गया। जब हम सीमांत प्रांत तथा पंजाब में मुसलमानों का अधिक्य व प्रधानता देखते है, तब इस विचार को बल मिलता है। परंतु इस सिद्धांत के आधार पर पूर्वी बंगाल में मुसलमानों के भारी बहुमत की बात समझ में नही आती। इस बात की संभावना हो सकती है कि कुषाण के समय में उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में तुर्क लोग बस गए थे और उनका इस्लाम को आसानी से स्विकार करना, नव विजेताओं के साथ उनके जातीय भाईचारे या जातिगत संबंधो के कारण बताया जा सकता है। परंतु पूर्वी बंगाल के मुसलमानों का तुर्की तथा अफगानों के साथ निश्चित रुप से कोई जातीय संबंध नही है और उस क्षेत्र के हिंदुओ ने इस्लाम धर्म को किन्ही अन्य कारणों से स्विकार किया होगा।''

ये अन्य कारण क्या है? प्रो. सेन ने इन कारणों का उल्लेख किया है, जो मुस्लिम इतिहास ग्रंथो में भी मिलते है। वह सिंध का उदाहरण लेते है। इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध है। वह कहते है :2

''चचनामा के अनुसार सिंध के बौद्धों ने अपने ब्राम्हण शासकों के अधीन सभी प्रकार के अपमान तथा निरादर सहे, और जब अरबों ने उनके देश पर आक्रमण किया तो बौद्धों ने उनकी पुरे दिल से सहायता की। बाद में, जब दाहिर का वध कर दिया गया और उसके देश में मुस्लिम शासन की दृढ़ता से स्थापना हो गई, तो बौद्धो को यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि जहां तक उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा सुविधाओं का संबंध है, अरब उनके लिए यथा स्थिती में कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार नही थे, और यहां तक कि नई व्यवस्था में भी हिंदुओ के साथ उत्तम व्यवहार किया गया। इस कठिनाई से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका इस्लाम धर्म को स्विकार करना था, क्योंकि

धर्मपरिवर्तन करने वाले लोग शासक वर्ग के लिए आरक्षित सब विशेषाधिकार व विशेष सुविधाओं के हकदार हो जाते थे। अतः सिंध के बौद्धों ने बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को स्विकार कर लिया और वे मुसलमानों में शामिल हो गए।''

इसके बाद प्रो. सेन एक और महत्वपूर्ण बात कहते है :

''यह एक अप्रत्याक्षित घटना नही हो सकती कि पंजाब, कश्मीर, बिहार शरीफ के आसपास के जिले, उत्तर-पूर्व बंगाल जहां पर मुसलमानों की अब प्रधानता व बहुतायत है, मुसलमानों से पहले शक्तिशाली बौद्ध केंद्र थे। यह कहना भी उचित नही होगा कि बौद्धो ने हिंदुओ की अपेक्षा राजनितीक प्रभोलनों के सामने आसानी से हार मान ली और उन्होंने धर्मपरिवर्तन अपनी राजनितीक प्रतिष्ठा व स्थिती में वृद्धि की संभावनाओं के कारण किया था।''

दुर्भाग्यवश, उन कारणों का पता नही लगाया गया है, जिन्होंने भारत के बौद्ध लोगों का इस्लाम के पक्ष में बौद्ध धर्म को त्यागने के लिए बाध्य किया था। इसलिए यह कहना असंभव है कि ब्राम्हण राजाओं का अत्याचार इसके लिए कहां तक उत्तरदायी था। परंतु ऐसे संकेतो की भी कमी नही है, जिनसे यह पता चला है कि यही इसका प्रमुख कारण था। हमारे पास दो ऐसे राजाओं के निश्चित प्रमाण है, जो बौद्ध लोगों पर अत्याचार करते थे व उनका उत्पीड़न करते थे।

उनमें पहला नाम मिहिरकुल का है। वह हूण था। हूणों ने भारत पर सन 455 के लगभग आक्रमण किया था। उत्तरी भारत में अपने राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने पंजाब में साकल (आधुनिक स्यालकोट) को अपनी राजधानी बनाया था। मिहिरकुल ने सन 529 के लगभग शासन किया। विन्सेंट स्मिथ का कहना है :

समस्त भारतीय परंपराएं मिहिरकुल को एक रक्त पिपासु, क्रूर व अत्याचारी शासक के रुप में चित्रित करती है। 'भारत के आतताई' के रुप में इतिहासकारों ने हूणों के स्वभाव की यह विशेषता नोट की कि साधारण मात्रा के कठोर और क्रूर स्वभाव की अपेक्षा, वे अत्याधिक क्रूर स्वभाव के थे। मिहिरकुल ने शांतिपूर्ण बौद्ध पंथ के विरुद्ध क्रूर शत्रुता दर्शाई। उसने स्तुपों तथा मठों को निष्ठुरता से नष्ट किया और वहां की सारी संपत्ति को लूट लिया।

दूसरा राजा पूर्वी भारत का राजा शशांक था। उसने सातवी शताब्दी के प्रथम दशक के लगभग शासन किया और वह हर्ष के विरुद्ध युद्ध में पराजित हुआ। विन्सेंट स्मिथ का कहना है 3 :

शशांक को हर्ष के भाई का विश्वासघाती हत्यारा कहा गया है। वह संभवतः गुप्त वंश का वंशज था। वह शिव का उपासक था और बुद्ध धम्म से घृणा करता था। उसने बुद्ध धम्म का उन्मूलन करने का हर संभव प्रयास किया। एक जनश्रुति के अनुसार उसने बुद्ध गया में पवित्र बोधि वृक्ष को जड़ से खुदवा कर उसे जलवा दिया था, जिस पर अशोक की अत्याधिक भक्ति व श्रद्धा थी। उसने पाटलिपुत्र में उसे पत्थर को भी तोड़ दिया, जिस पर बुद्ध पद्चिन्ह अंकित थे। उसने मठों व आश्रमों को नष्ट कर दिया। भिक्षुओं को तितर-बितर कर दिया। उसने इनका पीछा नेपाल की तराइयों तक किया।

सातवी शताब्दी भारत में धार्मिक अत्याचार व उत्पीड़न की शताब्दी प्रतीत होती है। स्मिथ का कहना है। 'सातवी शताब्दी में दक्षिण भारत में इस जैसे ही धर्म जैनमत को भी नष्ट करने की भयंकर कोशिश की गई।' जब मुस्लिम आक्रमण होने लगे, तब हमें सिंध का उदाहरण मिलता है, जहां पर उत्पीड़न व अत्याचार ही निस्संदेह बुद्ध धम्म के पतन का कारण बना। यह अत्याचार तथा उत्पीड़न मुलसमानों के आक्रमण तक जारी रहा। इसका अनुमान इस तथ्य से भी लग सकता है कि उत्तरी भारत में राजा या तो ब्राम्हण थे या राजपूत। ये दोनों ही बुद्ध धम्म के विरोधी थे। जैनियों पर 12 वीं शताब्दी में भी अत्याचार हुए। इसका समर्थन इतिहास भी प्रचुर मात्रा में करता है। स्मिथ ने गुजरात के एक शैव राजा अजय देव का उल्लेख किया है, जो सन 1174-76 में सिंहासन पर बैठा। उसने जैनियों पर निर्दयतापूर्वक अत्याचार से अपना शासन आरंभ किया था और उनके नेता को यातना देकर मरवा दिया था। स्मिथ लिखते है : 'कठोर उत्पींड़न व अत्याचार के अनेक पुष्ट उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता है।'

इसलिए अब कोई संदेह नही रह जाता कि बुद्ध धम्म के पतन का कारण बौद्धों द्वारा इस्लाम धर्म को अंगीकार करना था। यह मार्ग उन्होंने ब्राम्हणवाद के अत्याचार व क्रूरता से बचने के लिए अपनाया था। यद्यपि प्रमाण इस निष्कर्ष की पुष्टि नही करते, पर कम से कम इसकी संभावना अवश्य दर्शाते है। उस समय यदि कोई संकट था, तो यह ब्राम्हणवाद के कारण था।

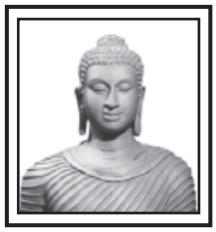

बुद्ध और उनका धम्म

लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

कुलीनों तथा पवित्रों की धम्म-दीक्षा

1. यश कुल-पुत्र की धम्म-दीक्षा

1. उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपतिपुत्र रहता था। वह तरूण था और उसकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता-पिता को बहुत प्यारा था और बहुत श्री-सम्पन्न था। उसके बहुत से नौकर-चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थीं और उसका सारा समय नाचने-गाने, सुरा पान करने आदि में ही बीतता था। वह विलासमय-जीवन व्यतीत करता था।
2. कुछ समय बीतने पर उसे विरक्ति ने आ घेरा। उसे इस बे-होशी से कैसे छुटकारा मिले ? क्या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा था, उससे कोई श्रेष्ठतर जीवन भी था ? यह न सोच सकने के कारण कि वह क्या करे, उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया।
3. एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यों ही भटकने लगा; वह घूमता घूमता वाराणसी की ओर ही चला आया।
4. थकान के मारे वह एक जगह बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा ''मैं कहाँ हूँ ? कौन-सा रास्ता है ? ओह! कितनी परेशानी है? ओह! कितना दुःख है ?''
5. वह घटना उसी रात की है जिस दिन तथागत ने ऋषिपतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषिपतन की ओर बढ़ा चला आ रहा था, तथागत, जो कि ऋषिपतन में ही विराजमान थे, बहुत सबेरे उठकर, खुली हवा में टहल रहे थे। और तथागत ने देखा कि इस प्रकार के दुःखद वचन कहता हुआ यश कुल-पुत्र चला आ रहा है।
6. और तथागत ने उसकी दुःखभरी आवाज सुनकर कहा ''कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दुःख नहीं हैं, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा।''तब तथागत ने यशकुल-पुत्र को अपना उपदेश दिया।
7. और जब यश ने वह उपदेश सुना, वह हर्षित हुआ, वह प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिये और जाकर तथागत के पास बैठ उन्हें नमस्कार किया।
8. बुद्ध के वचन हृदयङ्गम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करें।
9. तब तथागत ने उसे ''आ'' कहा और उसे भी भिक्षु-धम्म की दीक्षा दे दी।
10. यश के माता-पिता बड़े परेशान थे कि यश कहाँ चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं बुद्ध और भिक्षु-वेष में यश कुल-पुत्र बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया- ''कृपया कहें कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है?''
11. तथागत का उत्तर था -''आर्य आप अपने पुत्र को देख सकेंगे।'' यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा, किन्तु उसे पहचान नहीं सका।
12. तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया है। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किये हैं।
13. ''पुत्र यश!'' यश का पिता बोला, ''तुम्हारी मां तुम्हारे वियोग के दुःख से बहुत दुःखी है। घर आकर उसे सुखी करो।''
14. तब यश ने तथागत की ओर देखा, और तथागत ने यश के पिता से पूछा- ''गृहपति! क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थ बन जाये और जैसे पहले काम-भोग का जीवन व्यतीत करता था, वैसा ही अब करे ?''
15. यश के पिता ने उत्तर दिया -- ''यदि मेरे पुत्र यश को आप के साथ ठहरना ही अच्छा लगता है, तो वह आप के साथ ही ठहरे।'' यश ने एक भिक्षु ही बने रहना ठीक समझा।
16. विदा लेने से पहले, यश के पिता ने कहा - ''भिक्षु संघ सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करें।''

17. चीवर-धारण कर, भिक्षा पात्र हाथ में ले, यश कुल-पुत्र सहित तथागत यश गृहपति के घर पहुँचे।
18. घर आने पर मां और यश कुल-पुत्र की पूर्व भार्या ने भी तथागत के दर्शन किये। भोजनान्तर तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्मोपदेश दिया। वे बहुत प्रमुदित हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की।
19. यश के चार मित्र थे, जो वाराणसी के ही धनियों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्णजित् तथा गवाम्पति।
20. जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने 'बुद्ध' और उनके धम्म की शरण ग्रहण की है, तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिये अच्छी है, वही उनके लिये भी अच्छी होगी।
21. इसलिये वे यश के पास गये और उससे कहा कि वह बुद्ध से उनकी ओर से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना लें।
22. यश ने स्वीकार किया और तथागत से प्रार्थना की - ''कृपया इन मेरे चार मित्रों को धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करें।'' तथागत ने स्वीकार किया। यश के मित्रों ने भी 'धम्म' की दीक्षा ग्रहण की। [1]

2. काश्यप-बन्धुओं की धम्म-दीक्षा

1. काश्यम-परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में तीन भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यन्त धार्मिक।
2. कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह-त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उरूवेल की ओर गया, जहां पहुंच कर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया।
3. उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी संन्यासी बन गये।
4. वे सभी अग्नि-होत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी-बड़ी जटायें धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे।
5. तीनों भाइयों में से एक उरूवेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी-काश्यप तीसरा गया-काश्यप।
6. इन तीनों में से उरूवेल काश्यप के पांच सौ जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के तीन सौ जटिल शिष्य थे और गया-काश्यप के दो सौ जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उरूवेल काश्यप ही था।
7. उरूवेल काश्यप की दूर-दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर-दूर के लोग आते थे।
8. जब बुद्ध को उरूवेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो उनके मन में आया कि उरूवेल काश्यप को धर्म्मोपदेश दिया जाय और सम्भव हो तो धम्म-दीक्षा भी।
9. उसके निवास का पता-ठिकाना पाकर तथागत उरूवेल पहुँचे।
10. तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिये बोले --''काश्यप। यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात मैं तुम्हारे आश्रम में रहूँ।''
11. काश्यप का उत्तर था, ''मै इस से सहमत नहीं हूँ। मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराजा यहां रहता है। उसी का यहाँ शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि-पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जैसा वह मुझे देता है।''
12. काश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे। लेकिन तथागत इसे जानते थे।
13. इसलिये तथागत ने पुनः आग्रह किया : ''इसकी कोई सम्भावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा। काश्यप! एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दे।''
14. काश्यप बार-बार इनकार करता रहा और तथागत बार-बार आग्रह करते रहे।
15. तब काश्यप ने कहा, ''मै अधिक विवाद नहीं करना चाहता। किन्तु मुझे डर बहुत है। जो अच्छा समझें, करे।''
16. तथागत ने उसी समय अग्नि-शाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया।
17. नागराज मुचलिन्द ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया। लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा।
18. तथागत की शान्त गम्भीर मुद्रा को देखकर मुचलिन्द को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरूष के सामने है। उसने सिर झुका कर तथागत की पूजा की।
19. उस रात काश्यप को ठीक-ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी ? इसलिये वह बड़ी घबराहट लिये जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया हो।
20. प्रातःकाल होने पर अपने अनुयायियों सहित काश्यप

देखने के लिये आया। मुचलिन्द द्वारा बुद्ध को हानि पहुंचाये जाने की तो बात ही क्या उन्होंने देखा कि मुचलिन्द बुद्ध की पूजा कर रहा है।

21. यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगाकि वह कोई चमत्कार देख रहा है, उसकी आंखों के सामने कोई चमत्कार घट रहा है।

22. उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे वहीं एक आश्रम में रहें और वह स्वयं उनकी देख-भाल करेगा।

23. बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया।

24. लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टि-कोन थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुचलिन्द नागराज के विरूद्ध संरक्षण मिल गया।

लेकिन बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर आयेगा ही।

25. लेकिन काश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।

26. एक दिन तथागत ने स्वयं ही काश्यप से पूछा ''क्या तुम अर्हत् हो ?''

27. ''यदि अर्हत् नहीं हो, तो यह अग्नि-होत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा ?''

28. काश्यप बोला - ''मै नहीं जानता कि अर्हत् क्या होता है ? कृपया मुझे समझायें।''

29. तब तथागत ने कहा - ''आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ के बाधक सभी राग-द्वेषों को जिसने जीत लिया है, वह अर्हत् है। अग्नि होत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता।''

30. यूं काश्यप अभिमानी स्वभाव का था। लेकिन असके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर , यहां तक कि उसे सद्धम्म के ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि लोक-गुरू बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं।

31. और इस प्रकार, अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर, उरूवेल काश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया।

32. अपने गुरू के अनुगामी बन, काश्यप के सभी शिष्यों ने भी सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गये।

33. तब उरूवेल काश्यप ने अग्नि-होत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिये जो जाकर पानी में तैरने लगे।

34. नदी-काश्यप और गया -काश्यप ने जो नदी के नीचे की ओर रहते थे' अग्नि-होत्र के सामान को नदी में बहते जाते देखा। वे बाले-''यह सारा सामान हमारे भाई का है। उसने यह सारा सामान फेंक क्यों दिया है ? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी।'' वे बहुत अधिक बेचैन हो गये। अपने दो तीन सौ अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिये नदी के ऊपर की ओर आगे बढ़े।

35. सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण-वेष पहने देख उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उरूवेल काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगिकार कर लिया है।

36. वे बोले --''अब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है, तो हमें अभी उसका अनुकरण करना चाहिये।''

37. उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिये सामने उपस्थित किये गये। तथागत ने अग्नि-होत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया।

38. उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए बुद्ध ने कहा - ''जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है उसी प्रकार असम्यक् विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है।

39. ''काम, क्रोध तथा अविद्या ये ही वह अग्नि हैं जो सभी चीजों को भस्मसात् कर देती है और संसार में दुःख और शोक का कारण बनती है।

40. ''लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते है।

41. ''इसलिये जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मो से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है।''

42. उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध-वचन सुने तो अग्नि-होत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा की।-

43. काश्यप-बन्धुओं की दीक्षा बुद्ध की बड़ी विजय थी।

क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था।

3. सारिपुत्त तथा मौद्गल्यायन की धम्म -दीक्षा

1. जिस समय बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय अपने ढाई सौ अनुयायियों के साथ सञ्जय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था।
2. उसके शिष्यों में दो ब्राह्मण तरूण भी थे - सारिपुत्त और मौद्गल्यायन।
3. सारिपुत्त और मौद्गल्यायन सञ्जय की शिक्षाओं से सन्तुष्ट न थे और किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे।
4. एक दिन की बात है पञ्चवर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु अश्वजित पूर्वान्ह में अपना चीवर पहन तथा पात्र और चीवर ले, भिक्षाटन करने के लिये राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए।
5. सारिपुत्त पर अश्वजित की गम्भीर गति-विधि का बड़ा प्रभाव हुआ। अश्वजित स्थविर को देख सारिपुत्त ने सोचा''निश्चय से यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा, जो संसार में इस पद के योग्य हैं। यह कैसा होगा, यदि मै इस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूंछू कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रव्रजित हुए हो ? तुम्हारा गुरू कौन है? तुम किस का धर्म मानते हो ?''
6. फिर सारिपुत्त ने सोचा - ''यह समय इस भिक्षु से कुछ पूछने का नहीं ? यह भिक्षाटन के लिये भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि सभी प्राप्त करनेवालों की तरह मैं इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूं ?''
7. राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर अश्वजित स्थविर प्राप्त -भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गये। तब सारिपुत्त वहीं पहुंचे जहाँ अश्वजित थे। समीप पहुंच कर कुशल-क्षेम पूछ एक ओर खड़े हो गये।
8. एक और खड़े हुए सारिपुत्त परिव्राजक ने अश्वजित स्थविर से कहा - ''मित्र! आपकी शक्ल शान्त है। आपकी छबि आभा-पूर्ण है। मित्र! आप किसके नाम से प्रव्रजित हुए है ? आपका गुरू कौन है ? आप किस के धर्म कों मानते हैं ?''
9. अश्वजित का उत्तर था - ''मित्र! निश्चय से जो शाक्य-कुल-प्रव्रजित महान् श्रमण हैं, मैं उनहीं के नाम से प्रव्रजित हुआ हूँ, वे ही मेरे गुरू हैं और मैं उन्हीं के धम्म को मानता हूँ।''
10. ''और हे पूज्यवर ! आपके गुरू का सिद्धान्त क्या है ? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं ?''
11. ''मित्र! मैं एक नया ही शिष्य हूँ, मुझे प्रव्रजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने अभी-अभी - कुछ ही समय पूर्व -इस धम्म-विनय को ग्रहणकिया है।मैं विस्तार-पूर्वक तो आपको धम्म बता नहीं सकता। लेकिन मै आप को संक्षेप में ही बताऊँगा।''
12. तब परिव्राजक सारिपुत्त ने स्थविर अश्वजित से कहा - ''मित्र ! कम या अधिक आप जितना चाहें मुझे बतायें, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बता दें। मैं सार ही चाहता हूं। बहुत से शद्धों को लेकर क्या करूंगा ?''
13. तब अश्वजित ने सारिपुत्त को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्त का पूर्ण संतोष हो गया।
14. यद्यपि सारिपुत्त और मौद्गल्यायन भाई भाई नहीं थे। लेकिन वे दोनों दो भाइयों के ही समान थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था। जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों की आपस की वचन-बद्धता थी।
15. तदनुसार सारिपुत्त वहाँ पहुँचे जहाँ मौद्गल्यायन थे। उन्हें देखकर मौद्गल्यायन ने सारिपुत्त से कहा - ''मित्र ! आपकी शक्ल शान्त है। आपकी छबि आभा-पूर्ण है। तो क्या आपने सत्य प्राप्त कर लिया है ?''
16. ''हाँ मित्र ! मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है।'' ''और मित्र! आपने सत्य को कैसे पा लिया है ?'' तब सारिपुत्त ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजित के साथ घटी थी।
17. तब मौद्गल्यायन से सारिपुत्त से कहा- ''तो मित्र! हम तथागत के पास चलें ताकि वह हमारे शास्ता बनें।''
18. सारिपुत्त ने कहा - ''मित्र! यह जो ढाई सौ परिव्राजक यहाँ रहते हैं, ये हमारी ओर ही देखकर यहाँ रहते हें। इससे पहले कि हम उन्हें छोड़कर जायें, हमारे लिये यह उचित है कि हम उन्हें बता दें। वे जो चाहेंगे वो करेंगें।''
19. तब सारिपुत्त और मौद्गल्यायन वहाँ गये जहाँ वे थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा -''हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे है। वह महाश्रमण ही हमारे उपदेशक हैं।''
20. उन्होंने उत्तर दिया :- ''आपके ही कारण हम यहाँ रहते रहे हैं और आप को ही मानते रहे हें। यदि आप महाश्रमण के अधीन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम सब भी यही करेंगे।''
21. तब सारिपुत्त और मौद्गल्यायन सञ्जय के पास गये और पहुंचकर सञ्जय से कहाः- ''मित्र! हम तथागत की शरण में जाते हैं। वह तथागत ही हमारे उपदेशक हैं।''
22. सञ्जय बोला -- ''आप मत जायें। हम तीनों मिलकर इन सबकी गूरूवाई करेंगे।''

23. दूसरी और तीसरी बार भी सारिपुत्त और मौद्गल्यायन ने अपनी बात दोहराई। सञ्जय का भी वही उत्तर था।
24. तब इन ढाई सौ परिव्राजकों सहित सारिपुत्त और मौद्गल्यायन राजगृह के वेलुवन उद्यान में वहां पहुंचे जहाँ तथागत विराजमान थे।
25. तथागत ने उन्हें --सारिपुत्त और मौद्गल्यायन को -दूर से आते देखा।उन्हेंदेखकर तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधन किया- ''भिक्षुओं, ये दो मित्र चले आ रहे हैं, सारिपुत्त और मौद्गल्यायन, ये दोनों मेरे श्रावक-युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य-युगल।''
26. जब वे वेलुवन पहुंचे तो वह जहाँ तथागत थे वहाँ गये। वहा पहुँचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर से वन्दना की ओर प्रार्थना की - ''तथागत! हमें आप से प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले।''
27. तब तथागत ने धम्म-दीक्षा के निश्चित शद्ध -भिक्षुओं! आओ (एहि भिक्खवे) कहे और दो सौ जटाधारियों सहित सारिपुत्त और मौद्गल्यायन बुद्ध की शरण आये।[3]

4. राजा बिम्बिसार की धम्म-दीक्षा

1. राजगृह मगध-नरेश श्रेणिक बिम्बिसार की राजधानी थी।
2. जटिलों की इतनी बड़ी संख्या के बुद्ध की शरण में चले जाने से हर किसी की जबान पर तथागत की चर्चा थी।
3. इस प्रकार बिम्बिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता लग गया।
4. बिम्बिसार नरेश ने सोचा - ''उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना, हँसी-खेल नहीं है। निश्चय से वह तथागत होंगे, अर्हत होंगे, सम्यक् सम्बुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुगति-प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, आदमियों के मार्ग-दर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। वे निश्चय से स्व-बुद्ध धम्म की शिक्षा दे रहे होंगे।''
5. ''वह आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अन्त में कल्याणकारक धम्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वे अर्थो और शब्दों सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरूष का दर्शन करना अच्छा है।''
6. इस प्रकार मगध के बारह लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के साथ मगध नरेश बिम्बिसार जहां तथागत थे वहाँ पहुंचा। उनके पास पहुंच और विनम्रता पूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गया। उन बारह लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों में से भी कुछ ने तथागत को विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया और पास बैठ गये, कुछ ने तथागत का कुशल-क्षेम पूछा और निकट बैठ गये, कुछ ने तथागत को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और निकट बैठ गये, कुछ ने अपना नाम और गोत्र कहा और तथागत के निकट बैठ गये और कुछ यूं ही चुपचाप समीप आ बैठे।
7. मगध के उन बारह लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने उरूवेल काश्यप को भी महाश्रमण के भिक्षुओं में देखा। उनमें से कुछ सोचने लगे। ''क्या उरूवेल काश्यप महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, अथवा महाश्रमण ही उरूवेल काश्यप की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है ?''
8. मगध के उन बारह लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जान तथागत ने उरूवेल काश्यप को सम्बोधित कर कहा - ''हे उरूवेलवासी! तू ने क्या देखा जो अग्नि-परिचर्या छोड़ दी ? यह कैसे हुआ कि तुने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया?''
9. काश्यप ने उत्तर दिया -''यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गन्ध, स्त्री स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी। जब मैने समझ लिया कि मैं वासनामय रूप, रस, शब्द, गन्ध और स्पर्श अविशुद्ध हैं तो फिर मेंने यज्ञ-याग की कामना नहीं की।''
10. ''लेकिन यदि हर्ज न हो, तो यह बताओं कि तुम्हारा यह विचार कैसे बदल गया?''
11. तब ऊरूवेल काश्यप ने अपने स्थान से उठ, अपने एक कंधे को नंगा किया और तथागत बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वन्दना की और निवेदन किया : ''मै शिष्य हूँ और तथागत मेरे उपदेशक है।'' तब मगध के उन असंख्य ब्राह्मणों और गृहपतियों ने जाना कि उरूवेल काश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है।
12. तब मगध के उन बारह लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर बुद्ध ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिम्बिसार प्रमुख उन मगध के बारह लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को विरज, विमल ज्ञान-चक्षु प्राप्त हो गया। उनमें से एक लाख ने अपने उपासकत्व की घोषणा की।
13. इस दृश्य का साक्षी होकर, धम्म को समझ कर, धम्म की

तह तक जाकर, सन्देह रहित होकर, विचिकित्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगध-नरेश बिम्बिसार बोलाः - ''तथागत! जिस समय मै राजकुमार था, उस समय मेरी पांच आकांक्षायें थीं, वे पांचों अब पूरी हो गई।

14. ''पूर्व समय में, तथागत! जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। तथागत! यह मेरी पहली इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई। और तब अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध मेरे राज्य में आते! यह मेरी दूसरी इच्छा थी। तथागत! जो अब पूरी हो गई। और मैं उन तथागत की सेवा में उपस्थित होता! यह मेरी तीसरी इच्छा थी, तथागत! जो अब पूरी हो गई। और वह भगवान मुझे धर्मोपदेश देते! यह मेरी चौथी इच्छा थी तथागत ! जो अब पूरी हो गई। और मैं उन तथागत का धर्म हृदयंगम कर पाता! यह मेरी पाँचवी इच्छा थी तथागत! जो अब पूरी हो गई। तथागत! जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी ये पाँच इच्छाये थीं जो अब पूरी हो गई।

15. ''अद्भुत है तथागत ! अद्भूत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उघाड़ दे, अथवा पथ-भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दे ताकि आँख वाले रास्ता देख सकें, उसी तरह से तथागत ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं तथागत की शरण ग्रहण करता हूं। मै धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ। मै संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज दिन से जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक के लिये तथागत मुझे अपना शरणागत उपासक माने।''[4]

5. अनाथपिण्डक की धम्म-दीक्षा

1. सुदत्त कोसल जनपद की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कोसल जनपद पर राजा प्रसेनजित् का अधिकार था। सुदत्त प्रसेनजित् का श्रेष्ठी मै धम्म की शरण ग्रहण करता हूं। मै संघ की शरण ग्रहण करता हूं। (- खजाञ्ची) था। क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिये उसका नाम अनाथपिण्डक पड् गया था।
2. जिस समय तथागत राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी काम से राजगृह गया। वह राजगृह श्रेष्ठी के यहाँ ठहरा था, जिसकी बहन से उसका विवाह हुआ था।
3. जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसका साला श्रेष्ठी भिक्षुसंघ तथा तथागत बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी करा रहा है कि उसने सोचा कि या तो किसी आवाह-विवाह की तैयारी है या राजा को निमंत्रण दिया गया है।
4. जब उसे ठीक बात की जानाकरी हुई तो वह बुद्ध का दर्शन करने के लिये अत्यन्त उत्सुक हो उठा। वह उसी रात बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा।
5. और तथागत ने अनाथपिण्डक के हृदय की निर्मलता को तुरन्त भाँप लिया। उन्होंने उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथपिण्डक ने तथागत से कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की।''[5]
6. तथागत ने उसकी इच्छापूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से आरम्भ किया। ''कौन है जो हमारा निर्माण करता है, और हमें --जैसे चाहता है --चलाता है ? क्या यह कोई ईश्वर है? कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माणकर्ता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाये हुए बरतनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो उसमें दुःख, आपत्तियां और पाप कैसे होते ? क्योंकि पवित्र-अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसीको मानना होगा। यदि दुःख, आपत्तियों और पाप का मूल-स्त्रोत ईश्वर को न माना जाय, तो उससे भिन्न और उससे स्वतन्त्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा। तब ईश्वर सर्व-शक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ खुद गई।
7. ''तो फिर क्या 'ब्रह्मा' से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ? 'ब्रह्म' भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौंधे की उत्पत्ति होती है - उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही 'ब्रह्म' से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती है ? यदि 'ब्रह्म' सर्वव्यापक है, तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो नहीं ही है।
8. ''फिर यह भी कहा जाता है कि 'आत्मा' से ही उत्पति हुई है।यदि 'आत्मा' ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वाञ्छनीय रूप ही क्यों नहीं दिया ? दुःख सुख वास्तविक सत्य है, और उनका बाह्य अस्तित्व है। वह 'आत्मा' की कृति कैसे हो सकते है?
9. ''यदि तुम यही मत बना लो कि न कहीं कोई सृष्टि-कर्ता है और न कहीं कोई हेतु-प्रत्यय है तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनों तथा साध्य का मेल

बिठाने का प्रयत्न किया जाता है, उस सब का कोई प्रयोजन नहीं होगा ?''

10. ''इसलिये हमारा कहना है कि जो भी चीजें अस्तित्व में आती हैं वे सब सहेतुक होती हैं। न वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती है, न 'ब्रह्म' द्वारा, न 'आत्मा' द्वारा और न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती हैं। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे बुरे परिणामों को जन्म देते हैं।

11. ''सारा संसार 'प्रतीत्य-समुत्पाद' के नियम से बंधा है और जितने भी हेतु हैं वे अचैतसिक नहीं हैं। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता हैं।

12. ''इसलिये हम 'ईश्वर' और उससे प्रार्थना करने सम्बन्धी मिथ्या-धारणाओं का त्याग करें, हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें, हम 'आत्मा' और 'आत्मार्थ' से मुक्त हों क्योंकि सभी चीजें सहेतुक हैं, इसलिए हम कुशल-कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो।''

13. अनाथपिण्डक बोला - ''तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदयंगम कर रहा हूँ। मैं अपने अज्ञान को ओर भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ मै निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनकर तथागत मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दें।

14. ''मुझे काम-काज बहुत रहता है और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है, इसलिए बहुत बातों की फिक्र करनी पड़ती है। तो भी मैं अपने कार्य को आनन्दपूर्वक करता हूँ और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूँ। मेरे बहुत से नौकर-चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है।

15. ''अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रव्रज्या के सुखों के गुण गाते हैं और गृहस्थ जीवन की भत्सना करते हैं। वे कहते हैं कि 'तथागत ने अपना राज्य और परम्परागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सद्धम्म का पथ प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है।

16. ''मै जो उचीत हो वही करना चाहता हूँ और मेरी उत्कट अभिलाषा है कि अपने मानव-बन्धुओं की कुछ सेवा कर सकू। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिये यह उचित है कि मैं अपनी सम्पत्ति, अपने घर और अपने कार-बार का त्याग कर दू और आपकी तरह ही धम्म-जीवन का सुख प्राप्त करने के लिये घर से बे-घर हो जाऊँ ?''

17. तथागत का उत्तर था - ''धम्म-जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिये प्राप्य है जो आर्य-अष्टांगिक मार्ग का पथिक हैं। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिये यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे; लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव -बन्धुओं के किए एक वरदान है।''

18. ''मै तुम्हें कहता हूँ कि गृहस्थ ही बने रहो। अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन, ऐश्वर्य्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते किन्तु जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति है, वह उसे अपना दास बना लेती है।

19. ''जो भिक्षु इसलिये संसार का त्याग करता है कि भिक्षु बनकर आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे, उसे इससे कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव स्पृहणीय नहीं है।''

20. ''जब तक अन्तःप्रेरणा न हो तब तक तथागत का धम्म किसी को भी प्रव्रजित होने वा संसार का त्याग करने के लिये नहीं कहता, तथागत का धम्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह 'स्वार्थ के भ्रम से' से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसे काम-भोगादि सुखों की प्यास न हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे।''

21. ''और आदमी चाहे जो करें, चाहे वे शिल्पी रहें, चाहे व्यापार करें, चाहे सरकारी नौकरी करें अथवा संसार त्याग कर ध्यान-भावना में रत रहें, उन्हें अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे उस कमल की तरह जो पानी में रहता हुआ भी पानी से अछूता रहता है, जीवन-संघर्ष में लगे रहने पर भी अपने मन में ईर्षा और घृणा को जगह नहीं देते, यदि वह संसार में रहते हुए भी स्वार्थ-भरा नहीं बल्कि परमार्थ-भरा जीवन व्यतीत करते हैं तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि उनका मन आनन्द, शान्ति और सुख से भर जाएगा।''

22. अनाथपिण्डक को लगा कि यह सत्य का धम्म है, सरलता का धम्म है और प्रज्ञा का धम्म है।

23. उसकी तथागत के सद्धम्म में प्रगाढ़ आस्था हो गई। वह तथागत के चरणों पर नतमस्तक हुआ और प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने।

वर्तमान घटनाक्रम

❧ भारत में अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन के बाद सामाजिक भेदभाव होता है परंतु अनु.जाति की सुविधाएं नहीं दी जाती।

हिन्दू धर्म से परिवर्तन कर अन्य धर्म का स्वीकार करने पर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जैसा की हिन्दू धर्म में होता है, परन्तु उन्हें संविधान प्रदत सुविधाओं से इंकार किया जाता है। अनुसूचित जाति की सुविधाएं केवल हिन्दू, सीख और बौद्धों को दी जाती है। अनुसूचित जाति के हिन्दुओं द्वारा क्रिश्चन, मुस्लिम या अन्य धर्म स्वीकार करने पर उन्हें यह सुविधाएं नहीं दी जाती। हिन्दू धर्म त्यागने पर भी उनके साथ विषमता का व्यवहार किया जाता है, जातिद्वेष कायम रहता है आर्थिक सुविधाएं भी नहीं मिलती। हिन्दू धर्म की गुलामी से तंग होकार निम्न जाती के लोग बड़े पैमाने में धर्म परिवर्तन कर रह है। परंतु इस देश की विषमतावादी व्यवस्था उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। इस देश में धर्मद्वेष है इसलिए हिन्दू धर्म त्यागकर दूसरा धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाती के लोगो को सुविधाओं से वंचित किया जाता है। इसके लिए 1950 का संवैधानिक आदेश जारी किया गया। इसे गृह मंत्रालय द्वारा 1975 में जारी किया गया प्रपत्र और स्पष्ट करता है।इस प्रपत्र के अनुसार यदि कोई अनुसुचित जाती का व्यक्ति हिन्दू या सीख धर्म छोड़कर अन्य धर्म का स्वीकार करता है और बाद में वह वापिस हिन्दू या सीख धर्म का स्वीकार करता है तो उसे अनुसूचित जाती का माना जाएगा। सरकार यह मानती है कि दूसरे धर्म में जातिभेद, सामाजिक विषमता नहीं है परंतु हिन्दु धर्म में है। दूसरे धर्मों में जाती को धार्मिक मान्यता नहीं है परंतु हिन्दू धर्म के प्रभाव के कारण उन धर्मो में भी अनुसूचित जाती के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। केवल बुद्ध धम्म में ही मानव मानव के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद अनुसुचित जाती के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए इसलिए 2004 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसपर अब तक निर्णय नहीं हुआ हे। भारत में जब तक हिन्दू मानसिकता की सरकार या न्यायालय है तब तक जातिभेद के शिकार लोगों को न्याय नहीं मिल सकता।

भारत में समता केवल बुद्ध धम्म को स्विकार करने से ही स्थापित हो सकती है। सारी अमानवीयता और सारे अन्याय दूर तभी हो सकते है जब भारत बौद्धमय होगा।

❧ भारत में रोजगार घट रहा है और गरीबी बढ़ रही है।

नॅशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन के 66 वे राऊंड, 2009-10 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2004-05 के बाद रोजगार घट रहा है। 1999 -2000 से 2004-05 के बीच प्रतिवर्ष 2.66 बढ़ा था। अगले 5 वर्षों में अर्थात 2004-05 से 2009-10 के बीच रोजगार बढ़ोत्तरी दर घटकर 0.88 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक गिरावट हुई । 2004- 05 में रोजगार बढ़ोत्तरी दर 2.2 प्रतिशत थी जो 2009-10 में 0.4 प्रतिशत हुई और शहरी क्षेत्र में 4 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशत हुई।

राष्ट्रीय योजना आयोग के अनुसार 2004-05 से 2009 -10 तक गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में 41.5 प्रतिशत से 33.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25.7 प्रतिशत से 20.9 प्रतिशत घटी है। नेशनल सैंपल सर्वे के मापदंड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए 2200 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी उर्जा की सीमा को माना गया है। जो व्यक्ति इतनी उर्जा प्राप्त करने लायक अनाज नही खरीद सकता वह गरीब कहलाएगा । इस आधार पर 2004-05 से 2009-10 तक ग्रामीण क्षेत्र में 69.5 प्रतिशत से 75.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 64.5 प्रतिशत से 73 प्रतिशत गरीबी बढ़ी है (EPW, Oct. 5, 2013, page 45)

❧ भारत की पाठशालाओं में दलितों के साथ भेदभाव कायम है

ब्राह्मणी धर्म की शिक्षा के कारण सदियो से दलितों के साथ भेदभाव होता रहा है। संविधान द्वारा समता का अधिकार प्रदत्त करने के बावजूद आज भी दलितों के साथ भेदभाव होता है। बड़ों के साथ भेदभाव तो होता ही है परंतु बच्चों के साथ विद्यालयों में भी भेदभाव होता है। सरकार द्वारा 1986 में शिक्षा नीति बनाई। उसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। पाठशालाओं में सभी बच्चों को समानता के व्यवहार के साथ शिक्षा देनी चाहिए। परंतु अनेक पाठशालाओं में दलितों के साथ विषमता का व्यवहार होता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को इस बाबत जानकारी

दी गई। परंतु उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अंततः सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 6 राज्यों के योग्य लोगों की टीम बनाई जिन्होंने आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और राजस्थान के कुल 120 पाठशालाओं में पहुँचकर अध्ययन किया। इनमें प्रमुख रूप से शिक्षा योजना और प्रशासन पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की विमला रामचंद्रन तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरमणी नाओरेम थी। हर राज्य के 4 जिलों में 20 पाठशालाओं की जानकारी हासिल की। उन्होंने शिक्षको, विद्यार्थियों और पालको से बातचीत की उनके द्वारा प्राप्त जानकारी का विवरण निम्नानुसार है।

शिक्षकों की धारणा

अध्ययन दल के सदस्योंने 6 राज्यों के शिक्षको में यह आम धारणा पायी कि दलितों के बच्चे होशियार नहीं होते। परंतु उन्हीं शिक्षकों की पाठशालाओं में होशियार दलित बच्चे पाये गए। इससे यह साबित होता है कि शिक्षकों में जातिद्वेष के कारण उनकी ऐसी झूठी धारणा बनी हुई है। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा जातिवाद करना बड़ा शर्मनाक और चिंता का विषय है।

आंध्रप्रदेश - शिक्षक खुलकर किसी जाती विशेष का नाम न लेकर कहते है कि, कुछ समुदाय के लोग अशिक्षित, अनपढ़ और गंदे है। वह केवल नौकरी चाहते है, उनके बच्चों की शाला में प्रगति के बारे में उन्हें कोई रूचि नहीं है।

आसाम - शिक्षक मानते है कि आदिवासी गंदे रहते है।

बिहार - शिक्षक मानते है कि दलित और गरीब पढ़ नहीं पाएंगे।

मध्यप्रदेश - चूंकि दलितों के घर पर शिक्षा के महत्व को नहीं समझा जाता उनके बच्चों को समझाना मुश्किल काम है, ऐसा शिक्षक मानते है।

ओडिसा - बहुसंख्यक शिक्षकों का यह मानना है कि दलित और गरीब गंदे और मुर्ख होते है।

राजस्थान - शिक्षक खुलेआम जातिवाद कि चर्चा करते है। बहुसंख्यक शिक्षकों ने यह कहा कि दलित विद्यार्थीयों के पालक अनपढ़ होते है इसलिए वह अक्सर अपने बच्चों को पाठशाला से निकलवा लेते है या पाठशाला में नियमित आने नहीं देते। शिक्षकों को यह जानकारी है कि दलित बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन और पानी लेते समय भेदभाव होता है।

पानी :

राजस्थान - राजस्थान की ज्यादातर पाठशालाओं में सवर्ण विद्यार्थी दलित विद्यार्थियों के पहले हैंडपंप पर या नल पर पानी पीते है या मध्यान्ह भोजन के बाद हाथ धोते है। दलित विद्यार्थियों को पानी उनके हाथ पर डालकर दिया जाता है। दलित विद्यार्थियों को पीने के लिए या हाथ धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए जबतक पानी नहीं दिया जाता तबतक खड़े रहना पड़ता है।

मध्यप्रदेश - शिक्षक अपने पीने के लिए पानी केवल सवर्ण विद्यार्थियाओं से ही बुलाते है। कुछ पाठशालाओं में पीने का पानी स्टील के बर्तन में रखा जाता है। उस बर्तन को दलित विद्यार्थी छु नहीं सकते।

बिहार - दलित विद्यार्थी सवर्ण विद्यार्थियों के बाद पानी पीते है।

शौचालय :

आंध्रप्रदेश और मध्यप्रदेश - बहुत कम पाठशालाओं में शौचालय है। इन शौचालयों की सफाई का काम दलित लड़कियों से कराया जाता है। ज्यादातर पाठशालाओं में शौचालय केवल शिक्षकों द्वारा उपयोग के लिए होते है और उनपर ताला लगा रहता है। इन शौचालयों को भी दलित लड़कीयां ही साफ करती है।

ओड़ीसा - किसी भी पाठशाला में लड़को तथा लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है।

आसाम - किसी भी पाठशाला में विद्यार्थियों के उपयोग हेतु नहीं है। शिक्षकों के लिए जो शौचालय है उन्हें लड़कियों से साफ कराया जाता है।

बिहार और राजस्थान - केवल शिक्षकों के उपयोग के लिए शौचालय है।

मध्यान्ह भोजन :

लगभग सभी राज्यों की पाठशालाओं में खाना बनाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग होते है। उन्हें मदद करने वाले दलित या आदिवासी होते है। भोजन के समय विद्यार्थी अपनी जाती के विद्यार्थियें के साथ बैठते है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भी अपनी अपनी जाती के शिक्षकों के साथ बैठते है। दलित शिक्षक अलग बैठकर खाना खाते है। एक पाठशाला में

अध्ययन दल ने यह पाया की दलित विद्यार्थियों को पाठशाला में उपलब्ध बर्तन में खाना नहीं दिया जाता। उन्हें खाने के लिए अपने घर से बर्तन लाना पड़ता है। जब कोई दलित विद्यार्थी अपने घर से बर्तन नहीं लाता है तो उसे रोटी पर भोजन परोसा जाता है।

कक्षा में बैठना :

लगभग सभी राज्यों की पाठशालाओं में दलित विद्यार्थी पीछे बैठते है। उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। गरीबी के कारण दलित विद्यार्थी अच्छी ड्रेस नहीं पहन पाते इस कारण उन्हें पीछे बिठाया जाता है।

विद्यार्थियों का कथन :

आंध्रप्रदेश - पाठशाला की सफाई विद्यार्थियोसे करवाई जाती है।आदिलाबाद जिले की पाठशाला में दलित विद्यार्थियों को कुऐ से पानी लेने के लिए मनाई है।

बिहार - पाठशाला की सफाई दलित विद्यार्थियोंसे कराई जाती है। हैंडपंप पर सवर्ण वर्ग के विद्यार्थी दलित विद्यार्थियों के पहले पानी लेते है।

मध्यप्रदेश - पानी से भर हुये बर्तन को दलित विद्यार्थी छु नहीं सकते। इसप्रकार हैंडपंप को भी दलित विद्यार्थी छु नहीं सकते। दलित विद्यार्थियों के लिए सवर्ण विद्यार्थी हैंडपंप चलाते है।

उड़ीसा - पुजा के समय दलित विद्यार्थी हैंडपंप नहीं छु सकते।

राजस्थान - सफाई का काम दलित लड़कियों से कराया जाता है। हैंडपंप पर सवर्ण लड़के पहले पानी पीते है। सवर्ण लड़के हैंडपंप का मुह पानी के पहले धोते है। पानी से भरे हुए बर्तन को दलित लड़को को छूने नहीं दिया जाता है।

क्या पाठशालाओं में हो रही विषमता को समाप्त करने के लिए इस देश की सरकार कोई कारगर कदम उठाएगी? ब्राह्मणवादी सरकारों से उम्मीद नहीं है क्योंकि यदि उनकी नियत ठीक होती तो आज यह स्थिति न होती।

भारतीय दलित आज तक आजाद नहीं हुये हैं। यदि आजादी चाहिए तो हर मोर्चे पर मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। बाबासाहेब की विचारधारा को ठीक से समझना होगा, उस पर गंभीरता से विचार करना होगा, अपनी मानसिक गुलामी को त्यागना होगा, अन्याय के विरोध में क्रोध पैदा करना होगा, स्वाभिमान पैदा करना होगा, भाईचारा बनाना होगा और संगठित होना होगा। यदि हम दृढ़ता से यह सब कर सके तो जीत हमारी होगी और इस देश में समता प्रस्थापित होगी, सबको आजादी होगी, कोई किसी पर अन्याय नहीं करेगा और सभी प्रेम और भाईचारे के साथ रहेंगे।

❧ भारत में अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के लोग वंचित लोग है

अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के बाद इस देश ने समता पर आधारित संविधान अपनाया परंतु 6 दशक बीत जाने के बाद अब तक न तो सामाजिक समता प्रस्थापित हुई और न ही आर्थिक समता प्रस्थापित हुई। हुआ इसके विपरीत ही। सामाजिक विषमता दिन ब दिन बढ़रही है। दलितों पर हो अत्याचारों के सरकारी आकड़े इसका सबूत है। पूंजीपतियों का धन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। गरीबों में सर्वाधिक दलित और आदिवासी है। ऐसा तो होना ही था क्योंकि इस देश के कर्णधार ही विषमतावादी है। क्या किसी विषमतावादी से समता की अपेक्षा की जा सकती है? 2011 की जनगणना के आकड़े प्रकाशित हुये है। वह आर्थिक विषमता को प्रदर्शित करते है।

जनगणना के अनुसार भारत में कुल 2466 लाख निवासी घर है। इनमें अनुसूचित जाती के 442 लाख (17.9 %) और अनुसूचित जनजाति के 233 लाख (9.4%) घर है।

भारत के 2466 लाख घरों में रिहायशी स्थिति इसप्रकार है -

क्रांक्रीट छत वाले घर	29.6 %
नल का पानी	43.5%
बिजली	67.2%
घरों में शौचालय	46.9%
ड्रेनेज सुविधा	51.1%
स्नानघर	42.0%
रसोईगैस	28.5%

अनुसुचित जाती के 442 लाख घरों में रिहायशी स्थिति इसप्रकार है-

कांक्रीट छत वाले घर	21.9%
नल का पानी	41.2%
बिजली	59.0%

घरों में शौचालय	33.8%
ड्रेनेज सुविधा	46.6%
स्नानघर	16.9%
रसोईगैस	28.5%

अनुसूचित जनजाती के 233 लाख घरों में रियायशी स्थिती इसप्रकार है -

कांक्रीट छत वाले घर	10.1%
नल का पानी	24.4%
बिजली	51.7%
घरो में शौचालय	22.6%
ड्रेनेज सुविधा	22.7%
स्नानघर	17.2%
रसोईगैस	9.2%

भारत के 2466 लाख घरों में समान की स्थिती इसप्रकार है-

बैंक खाते	58.7%
टेलीविजन	47.2%
टेलीफोन	4.0%
मोबाइल	53.2%
कंप्युटर / लैपटॉप	9.4%
स्कुटर / मोटरसाइकल / मोपेड	21.0%
कार / वैन / जीप	4.7%
रेडिया / ट्रान्जिस्टर / साइकिल	17.8%

अनुसूचित जाति के 442 लाख घरों में समान की स्थिति इसप्रकार है-

बैंक खाते	50.9%
टेलीविजन	31.1%
टेलीफोन	3.0%
मोबाइल	47.5%
कंपूटर/लैपटॉप	6.4%
स्कूटर/मोटरसाइकल/मोपेड़	12.0%
कार/वैन/जीप	1.8%
रेडियो/ ट्रान्जिस्टर/ साइकिल	22.6%

अनुसूचित जनजाति के 233 लाख घरों में समान की स्थिति इसप्रकार है-

बैक खाते	44.9%
टेलीविजन	21.8%
टेलीफोन	1.9%
मोबाइल	31.1 %
कंपूटर/लैपटॉप	5.2 %
स्कूटर/मोटरसाइकल /मोपेड़	8.9%
कार/वैन/जीप	1.6%
रेडियो/ ट्रान्जिस्टर/साइकिल	37.3%

उपरोक्त आंकड़ो से यह साबित होता है कि, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति और अन्य लोगों कि स्थिति में अंतर बढ़ा है।

नरेंद्र मोदी का झूठ

जानकार लोग जानते है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते है। गुजरात के विकास की बात हो अन्य भाषणबाजी हो उनकी बातों में कुछ न कुछ झूठ नजर आता है। बिहार में हुई रैली में उन्होंने जो झूठ बोला वह इस प्रकार है-

मोदी - नेहरू, सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हुए थे।

वास्तव - नेहरू और राजेन्द्र प्रसाद 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में पटेल के अंतिम संस्कार में उपस्थित थे।

मोदी - बहादुर बिहारियों ने गंगा के तीर पर अलेक्झांडर को हराया था।

वास्तव - अलेक्झांडर पंजाब से ही वापस लौटे थे, गंगा नदी तक आए ही नहीं थे।

मोदी - तक्षशिला बिहार में थी।

वास्तव - तक्षशिला पाकिस्तान में है।

मोदी - एन डी ए सरकार के समय भारत 8.4 प्रतिशत ऊंचाई पर था।

वास्तव - एन डी ए सरकार के समय भारत 6 प्रतिशत से कम ऊंचाई पर था।

मोदी - गुजरात में सर्वाधिक विदेशी निवेश हुआ।

वास्तव - 2000-2011 के बीच महाराष्ट्र में 45.8 बिलियन डालर, दिल्ली में 26 बिलियन डालर तथा गुजरात में 7.2 बिलियन डालर विदेशी निवेश हुआ।

मोदी - चीन अपनी जी.डी.पी. का 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है जबकि भारत कुछ नहीं करता।

वास्तव - चीन शिक्षा पर 3.93 प्रतिशत खर्च करता है। एन डी ए सरकार ने 1.6 प्रतिशत खर्च किए थे। यू पी ए सरकार 4.04 प्रतिशत खर्च कर रही है।

मोदी - जब नर्मदा बांध बन जाएगा लोगों को मुक्त में बिजली मिलेगी।

वास्तव - चाहे जो भी बांध बन जाए लोगों को बिजली के लिए भुगतान करना ही होगा।

नरेंद्र मोदी अब इतना झूठ बोल रहे है। यदि वह प्रधान मंत्री बने तो कितना झूठ बोलेंगे।

❧ भारत में सर्वाधिक गुलाम

वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा संसार के 162 देशों में सर्वेक्षण कर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स तयार कर रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक गुलाम है। संसार में लगभग 3 3 करोड़ लोग गुलाम है। अकेले भारत में ही 1 करोड़ 40 लाख लोग गुलाम है। अर्थात 47 प्रातिशत गुलाम भारत में है। दूसरे क्रमांक पर चीन है जहां 30 लाख गुलाम है। तीसरे क्रमांक पर पाकिस्तान है जहां 22 लाख गुलाम है। चीन और पाकिस्तान के गुलामों को मिलाकर उनसे लगभग 3 गुना गुलाम भारत में है। भारत में हो रहा शोषण गुलामी का मुख्य कारण है ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय तीर्थस्थानों में जबरदस्ती भगाकर लाई गई अल्पवयीन लड़कियों को सेक्स स्लेव के रूप में रखा जाता है।

जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है। गुलामी का मुख्य कारण शोषण है। तब इस शोषण का कारण जानना जरूरी है। इस शोषण का कारण हिन्दू धर्म है क्योंकि इस धर्म के अनुसार मानव मानव से भेद करने कि शिक्षा दी जाती है। इसलिए जबतक भारत में हिन्दू धर्म रहेगा तबतक यह देश गुलामी के शिखर पर ही रहेगा।

❧ जातिभेद करना मानव अधिकारों का हनन करना है - युरोपियन संघ

जाति के आधार पर भेदभाव करना मूलभूत मानव अधिकारों का हनन करना है। जातिभेद का निषेध कर इस समस्या का हल हर सदस्य देश ने निकालना है। यह प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन कि संसद ने मंजूर किया है। यूरोपियन यूनियन के 28 सदस्य देश है। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि जातिभेद का उगमस्थान भारत है और भारत से विदेशों में गए हुए लोग ही जातिभेद करते है। संसार के अनेक देशों में जातिभेद के विरोध में संवैधानिक प्रावधान किए गए है फिर भी लगभग 26 करोड़ लोग जातिभेद के शिकार है। भारत में सरकारी क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लिए संवैधानिक अधिकाार दिये है परंतु निजी क्षेत्रोंपर उच्च वर्ण के लोगों का अधिकार होने के कारण जातिभेद की दरार बढ़ रही है। इस प्रस्ताव में दलित, महिला और अल्पसंख्यकों पर हो रहे जातिभेद तथ उसके विभिन्न रूपों की चर्चा की गई है तथा सभी सदस्य देशों से अपील की है कि वह जातिभेद के विरोध में प्रभावी कदम उठाए।

जातिभेद के जहर का असर विदेशी हिंदुओं में भी है। जिस प्रकार भारत में इस जहर के असर को कायम रखने का काम हिन्दू संगठन कर रहे है उसीप्रकार विदेशों में भी यह हिन्दू संगठन जातिभेद के जहर को कायम रखने का काम कर रहे है। युरोपीय देश इस जहर के असर को समाप्त करने हेतू कदम उठा रहें है परंतु भारत में वैसा कारगर कदम नही उठाया जा रहा है क्योंकि इस देश के जनप्रतिनिधी ही जातिवाद से ग्रसित है। जातिवाद के शिकार लोगों ने तथा मानवता कि सोच रखने वाले देशों ने भारत सरकार पर दबाव डालने पर शायद इस समस्या का निदान हो सकता है। इस समस्या का स्थायी निदान तो यही है कि हिन्दू धर्म कि मानवता विरोधी नीति को बड़े पैमाने पर उजागर करना और लोगों को मानव कल्याण का बुद्ध स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त करना। भारत बौद्धमय होने से ही मानव समस्याओं का हमेशा के लिए अंत होगा।

❧ बालविवाह विरोधी मसौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत का इन्कार

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालविवाह और जबरदस्ती विवाह करने के विरोध में अभियान प्रारम्भ किया है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मसौदा बनाया है। इस विषय पर संसार के सभी देशों की संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। उस वक्त भारत के प्रतिनिधी द्वारा मसौदे पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया। ऐसा कर भारत ने संसार के देशों के सामने मानव विरोधी होने का एक और उदाहरण पेश किया।

भारत में बालविवाह प्रतिबंध कानून 2006 पारित किया गया परंतु जैसा की हर कानून के संबंध में होता है, इस कानून पर भी अमल नहीं किया गया। संसार में 40 प्रतिशत बल

विवाह अकेले भारत में होते है। कम आयु में गर्भधारण के कारण माँ और बालक में मृत्यु का प्रमाण भारत में सर्वाधिक है । 15 से 19 वर्ष की आयु की महिलाओं में अनिमिया से पिड़ित सर्वाधिक महिला भारत में है।

बालविवाह के कारण महिलाएं पीड़ित है परंतु उनकी भारत सरकार को चिंता नहीं है। उनके प्रति द्वेष होना यह हिन्दू धर्म की ही देन है।

❧ भारत के मंदिरों में 2000 टन सोना

वर्ल्ड गोल्ड काऊसिल ने यह अंदाज लगाया है कि भारत के मंदिरों में 2000 टन सोना है। आज के भाव से इस सोने की किमत लगभग 84 अब्ज डालर है। इस सोने को यदि सरकार ने हस्तगत किया तो भारत विदेशी कर्ज अदा कर कर्जमुक्त हो सकता है।

कुछ प्रमुख मंदिरों में सोने की जानकारी इस प्रकार है-

महालक्ष्मी मंदीर, वेल्लोर	150 टन
गुरूवायुर मंदिर, केरल	110 फुट लंबा सोनेका पत्रा
पद्मनाभ मंदिर, केरल	लगभग 20 अब्ज डालर का सोना
सिद्यीविनायक मंदिर, मुंबई	बैंक में 10 किलो, खजाने में 140 किलो
तिरूपति मंदिर, आंध्रप्रदेश	बैंक में 2250 किलो सोना

जगन्नथ मंदिर, साईबबााब मंदिर, वैष्णोदवी मंदिर, स्वर्ण मंदिर इत्यादि मंदिरो में हजारो टन सोना है।

रिजर्व बैंक ने मंदिरों में उपलब्ध सोने जानकारी व्यवस्थापकों से पूछी तो उन्होंने जानकारी देने से इंकार किया और कहाँ कि सरकार को यह जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है। कि इन हिन्दुओं को देश से अधिक मंदिर प्यारे है।

❧ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संसार के एकमात्र संविधान विशेषज्ञ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में प्रवेश शताब्दी निमित्त कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने पूरे वर्षभर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। इन कार्यक्रमों के तहत 26 अक्तुबर 2013 को विश्वविद्यालय के जेरोम ग्रीन हॉल में बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान हेतु योगदान विषय पर संसार के जानेमाने विद्वानों के विचार आमंत्रित किए गए थे। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रातिनिधी अशोक कुमार मुखर्जी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चेयर के माजी प्रमुख प्रो. जगदीश भगवती, वर्तमान प्रमुख प्रो. सुधीर कृष्णास्वामी, प्रो. अरविंद पंगारिया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रो संदीप दासगुप्ता, केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रो रोहत डिमेलों, भारत के अमेरिका में राजदूत निरूपमा राव,प्रांस में सी.एन.आर. एस. संस्था के प्रमुख डॉ. क्रिस्टोफे जेफ्रोलोट तथा अनेक जानेमाने विद्वान उपस्थित थे।

अशोक कुमार मुखर्जी ने कहा कि डॉ. आंबेडकर ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय में एम.ए. कि तथा पी.एच.डी की लढ़ाई करते समय की संसार के अनेक शासनप्रणाली का तथा संसार के अनेक देशों के संविधानों का तुलनात्मक अभ्यास किया था। संवैधानिक कानून का तुलनात्मक अभ्यास करने वाला विद्वान संसार में बाबासाहेब के अलावा अन्य कोई नहीं था।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय में डॉ. आंबेडकर चेयर के चेयरमैन प्रो. सुधीर कृष्णास्वामी ने कहा कि कुछ लोग संविधान निर्मिती में बाबासाहेब के योगदान पर भ्रम पैदा कर रहे है। जिन्होंने संविधान सभा में बाबासाहेब की चर्चा पढ़ी है वह जानते है कि बाबासाहेब द्वारा किया गया संविधान निर्मिती का कार्य अतुलनीय है। बाबासाहेब ने अमेरिकन संविधान कि जो चर्चा की थी उसे पढ़कर अमेरिका के विद्वानों को भी नई जानकारी मिलेगी। उन्होंने दूसरे देशों के संविधान की जिसप्रकार तुलनात्मक चर्चा की उसे पढ़कर यही कहा जा सकता है कि वह एक अद्वितिय विद्वान थे।

❧ पटना बमस्फोट हिन्दू आतंकवादीयों की मदत से हुआ।

पटना में नरेंद्र मोदी की सभा के पूर्व बमस्फोट हुये थे। इस प्रकरण में जांच कर रही राष्ट्रीय संस्था एन आई ए ने जांच के दौरान बिहार के लखीसराय जिले से गोपाल कुमार गोयल, विकास कुमार, पवन कुमार और गणेश कुमार इन हिन्दू युवकों को हिरासत में लेकर पुछताछ की। उनसे मिली जानकारी के आधार पर झारखंड के धनबाद जिले से राजू साव को भी हिरासत में लिया है। उनके और 3 साथियों की जांच एजेंसी

तलाश कर रही है। इन युवकों ने पटना बमस्फोट के लिए धन उपलब्ध किया था। जांच एजेंसी ने इन युवकों से बहुत से एटीएम कार्ड, पासबूक और विदेशों से आर्थिक व्यवहार के कागजात जप्त किए है। उनके मोबाइल फोन पर बातचित ब्युरो से यह पता चला है कि उनके विदेशों से संबंध थे। जांच से पता चला है कि उन्हें पाकिस्तान से बड़ी रकम मिली थी।

उपरोक्त तथ्यों के बावजूद एन.आई.ए. ने उन युवकों के विरूद्ध हवाला से संबंधित मामला दर्ज किया है। उनके विरूद्ध आतंकवाद का मामला दर्ज नहीं किया है। इससे यह साबित होता है कि भारत की जांच एजेंसी हिन्दुओं की समर्थक है और जांच में भेदभाव करती है। इस देश का मिडिया भी इस संबंध में मौन है। सब के सब जनहित की बजाय हिन्दू हित में काम कर रहे है। तब क्या इस देश में न्याय की उम्मीद की जा सकती है?

❧ मोदी प्रधानमंत्री पद के अयोग्य-न्युयार्क टाइम्स

मोदी के संबंध में भारत के अनेक नागरिकों में डर और तिरस्कार की भावना है ,इसलिए वह भारत का नैतृत्व सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ऐसी टिप्पणी न्यूयार्क टाइम्स के संपादकीय में की गई है । इस टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। इस संपादकीय में यह लिखा है कि भारत में 13.8 करोड़ मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों में गुजरात दंगों के बाद से मोदी के प्रति भय और तिरस्कार है। गुजरात के विकास कि बात अन्य राज्यों कि तुलना में सही नहीं है। गुजरात में मुसलमानों कि आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। इस संपादकीय में यह भी लिखा है कि भाजपा के साथ 17 वर्ष तक रहनेवाली संयुक्त जनता दल अलग हो गया है। मोदी ने विरोधियों को साथ लेकर विरोध सहन करने कि क्षमता अबतक नहीं बताई है।

❧ म. गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय में जातिवाद

राहुल कांबले नामक दलित विद्यार्थी ने म. गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से 2010 में एम. फिल की परीक्षा सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की। इस सफता के लिए उसे मेडल भी मिला। परंतु उसने जब पी.एच.डी. हेतु आवेदन किया तो उसकी नियुक्ति नहीं की गई। विश्वविद्यालय के कुलगुरू वी. एन.राय ने अपनी पसंद के अन्य दो लड़को की नियुक्ति की। इस अन्याय के विरूद्ध राहुल ने जब कुलगुरू से निवेदन किया तो कुलगुरू ने उसेही प्रताड़ित करना शुरू किया। उसने कुलपति डॉ. नामवर सिंह से भी निवेदन किया परंतु उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात से उसने निवेदन करने पर उन्होंने कुलगुरू को इस संबंध में लिखा परंतु कुलगुरू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब डॉ. सुखदेव थोरात ने पी.एच.डी. में आरक्षण की जानकारी हासिल की तो उस विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. के 8 आरक्षित पद खाली थे। जातिवादी कुलगुरू ने यह पद जानबूझकर नहीं भरे थे। उसपर नियमानुसार कार्यवाही होना जरूरी है।

कुलगुरू जैसे जातियवादियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि दलित अयोग्य होते है। इस प्रकरण में दलित विद्यार्थी द्वारा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद जातिद्वेष के कारण उसकी नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां दलित उम्मीदवार योग्य होने के बावजूद जातिद्वेष के कारण उसकी नियुक्ति नहीं की जाती। इसलिए जबतक इस देश में हिन्दू मानसिकता रहेगी दलितों को न्याय नहीं मिल सकता।

❧ इंडियन मुजाइद्दीन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर्थिक मदद करता है - वाघेला

गुजरात के विरोधी पक्ष नेता शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि इंडियन मुजाइद्दीन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर्थिक मदद करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कलियानी समाज के माध्यम से इंडियन मुजाइद्दीन को पैसा दिया है। इंडियन मुजाइद्दीन यह मुसलमानों द्वारा बनाया गया संगठन होने के बावजूद भारतीय मुसलमान इन संगठन को मदद नही करते। इसी बात का फायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उठाया और उसे आर्थिक मदद देकर उससे दहशतगर्दी के काम करवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार बमकांड के पिछे गुजरात भाजपा का हाथ है इसे सिद्ध करने के लिए कड़ी जांच करनी चाहिए।

❧ 'सायबर हिन्दू' के माध्य से हिन्दू राष्ट्रवाद का प्रचार

हिन्दू राष्ट्रवाद को प्रचारित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सूचना तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 'साइबर हिन्दू' नाम से ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सूचना तकनीकी और सोशल नेटवर्किंग का उपयोग किया जा रहा है। भारतवासी जाग रहा है और हिन्दुत्व की असलियत को जानने लगा है। इसलिए संघ परिवार भयभीत है। झूठ कायम रहे इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर प्रकार के प्रचार माध्यमों का अपयोग कर रहा है।

नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के सूचना तकनीकी विभाग ने प्रशिक्षित युवाओं की फौज तयार की है। यह युवक मोदी के भाषण तथा विडियो अपलोड करेंगे, मोदी के विरोध में हुये प्रचार का खंडन करेंगे, मोदी के विरोध में प्रचार करनेवाले के बारे में भ्रम पैदा करेंगे, काँग्रेस और गांधी परिवार की बदनामी करेंगे और व्यंगचित्र बनायेंगे तथा हिन्दू राष्ट्रवाद का संदेश प्रसारित करेंगे।

❧ बाबासाहेब के पुतले का भूमिपुजन ब्राह्मणी परंपरा के अनुसार

दैनिक महानायक में छपी खबर के अनुसार महाराष्ट्र में पुना विश्वविद्यालय के परिसर में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के पुतले को स्थापित करने के लिए भूमिपूजन किया गया। यह भूमिपूजन तथाकथित बौद्ध कुलपति डॉ. वासुदेव गाड़े द्वारा नारियल फोड़कर और हल्दी कुमकुम अर्पण कर किया गया। इस अवसर पर गणमान्य पदाधिकारी डॉ. विजय खरे (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यास केंद्र प्रमुख),डॉ. रावसाहेब कसबे (डॉ. बाबासाहेब चेयर प्रमुख), डॉ. दीपक गायकवाड (डॉ. आंबेडकर शिक्षक संगठन प्रमुख), नरेंद्र कडु (कुलसचिव), सुनील धीवार (मजदूर यूनियन प्रमुख) और डॉ. संजीव सोनावणे आदि ने भी नारियल फोड़े।

भूमिपुजन के अवसर पर भंते सुदस्सन को उपस्थित देखकर कुलपति ने आपत्ति जताते हुये यह कहा कि इन अवसरों पर बौद्ध भिक्षुओं को नहीं बुलाना चाहिए। जिस महाराष्ट्र कि भूमि पर बाबासाहेब ने बुद्ध धम्म कि दीक्षा देकर हिन्दू धर्म कि गुलामी से मुक्ति दिलाई वहाँ आज अनेक नकली बौद्ध है जो हिन्दू धर्म का अनुकरण कर रहे है।

❧ 21 साल बीत जाने के बाद भी डॉ. आंबेडकर जन्म शताब्दी स्मारक नहीं बनाया गया

नागपुर महानगरपालिका ने बाबासाहेब के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में सन 1992 में नागपुर में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारक बनाने का निर्णय लिया था। परंतु 21 वर्ष बीत जाने के बावजूद स्मारक के काम की शुरूवात भी अबतक नहीं हुई है। नागपुर के पटवर्धन ग्राऊंड की भूमि स्मारक के लिए निश्चित की गई थी, स्मारक की डिजाइन बनाई गई थी, स्मारक पर खर्च की अनुमानित राशी भी निकाली गई थी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन भी दिये थे परंतु अमल अबतक नहीं हुआ है।

आंबेडकरी जनता के दबाव के कारण मुंबई में इन्दु मिल की भूमि बाबासाहेब के स्मारक के लिए मिल गई। बिना दबाव के आंबेडकरी जनता के कोई भी काम नहीं होते। इसलिए आंबेडकरी जनता ने नागपुर में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारक बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालना जरूरी है।

❧ महाराष्ट्र में अनुसूचित जाती/ जनजाति पर अत्याचार बढ़े

महाराष्ट्र में 2009 से मई 2013 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हुए अत्याचार के आकड़े इस प्रकार है -

अत्याचार	2009	2010	2011	2012	31 मई 13 तक (5 महीने)
खून	33	35	48	48	19
गंभी चोट	47	44	130	53	4
बलातकार	156	140	157	157	126
घर जलाना	15	17	13	16	8
बलवा	209	230	226	203	137
विनींग	146	176	189	174	133
भगाकर ले जाना	17	32	20	30	20
जबरदस्ती चोरी	10	12	11	20	12
लुटपाट	23	26	19	20	13
अन्य	564	541	565	623	371
अट्रोसिटी	52	150	78	54	37
कुल	**1272**	**1403**	**1456**	**1402**	**917**

ऐसे प्रकरण जिनमें जांच चल रही है	689
न्यायालय में लंबित प्रकरण	5907
न्यायालय में चार्जशीट दाखील	5147
दोषी पाये गए	201
निर्दोष पाये गए	3616

(स्त्रोत : महाराष्ट्र राज्य पोलिस मुख्यालय)

3817(201 3616) प्रकरणों में से केवल 201 प्रकरणों में दोषियों को सजा सुनाई गई। इससे पुलिस जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया के बारे में विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

❧ **थायलैंड के दानदाताओं द्वारा महाबोधी महाविहार को 289 किलो सोना दान**

थायलैंड के राजा के कोष से और बौद्धों से गया स्थित महाबोधि महाविहार के स्तुप पर लगाने के लिए 289 किलो सोना दान के रूप में प्राप्त हुआ था। थायलैंड के तकनीकी एक्सपर्ट द्वारा इस सोने की स्तुप पर परत लगाई गई। यह कार्य पूरा होने के बाद स्तूप बहुत सुंदर लग रहा है।

❧ **पुरातत्वविदों के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6 वी सदी में हुआ था।**

नेपाल में लुम्बिनी स्थित मायादेवी मंदिर में उत्खनन किया गया। इस उत्खनन में लकड़ी की इमारत पाई गई । इस इमारत पर ईटों से मंदिर बनाया गया था। लकड़ी की इस इमारत के मध्य भाग में वृक्ष के अवशेष पाये गए। ब्रिटेन में डरहेम विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद रॉबिन कनिंगहम ने इन अवशेषों के परीक्षण के बाद यह सिद्ध किया कि वह ईसा पूर्व 6 वी सदी के है। संशोधकों के अनुसार यह उसी वृक्ष के अवशेष है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। अब यह सिद्ध हुआ है की तथागत बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6 वी सदी में हुआ था।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने 'बुद्ध और उनका धम्म' इस ग्रंथ में लिखा है की सिद्धार्थ का जन्म ईसा पूर्व 563 में हुआ था अर्थात ईसा पूर्व 6 वी सदी में हुआ था।

ईसा पूर्व 3 री सदी में सम्राट अशोक ने इस स्थानपर एक स्तंभ बनाया था। स्तंभ पर लिखा है कि वह बुद्ध का जन्म स्थान लुंबीनी है। उसी के आधार पर लुंबीनी को बुद्ध का जन्म स्थान माना गया । इस स्तंभ को 1896 में खोजा गया था।

❧ **भारत में अनाज,फल और सब्जी के सड़ने से प्रतिवर्ष 44000 करोड़ रूपये का नुकसान होता है**

इमरसन क्लाइमेट टेक्नालाजी लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 13300 करोड़ रूपये किंमत के फल और सब्जी सड़ते है। यदि इसमें सड़ने वाले अनाज की किमत जोड़ी जाए तो यह आकड़ा 44000 करोड़ रूपये तक पहुंचता है। इसका मुख्य कारण शीतगृह और शीत वाहन का अभाव है । भारत में फिलहाल 310 लाख मेट्रिक टन क्षमता के 6300 शीतगृह है जो आवश्यकता के आधे है। इसलिए भारत को 610 लाख मेट्रिक टन क्षमता वाले शीतगृह की आवश्यकता है। शीतवाहन और शीतगृह की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 2014-15 में 55 हजार करोड़ रूपये का निवेश आवश्यक है। यदि शीतकरण की सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में स्थिति और भी विकट हो सकती है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है।

बाबु हरदास एल.एन. के स्मृतिप्रित्यर्थ

'हिरक महोत्सव-२०१४'

15 जनवरी 2014 को 'जयभीम' के प्रवर्तक लोकप्रिय बाबु हरदास.एल.एन. के स्मृतिप्रित्यर्थ 'हिरक महोत्सव-2014' का आयोजन स्मृतिभूमी, हरदास घाट, कन्हान, जि. नागपुर (महाराष्ट्र) पर किया जायेगा। सभी से निवेदन है कि, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अभिवादन करे।

- भदन्त नागदिपंकर थेरा, मोबा. 9423605550

न्यायपालिका

58 दलितों के खून किए गए परंतु पटना हाईकोर्ट को कोई खूनी नहीं मिला

12 अप्रैल 2012 के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बथानी टोला में 58 दलित और मुसलमानों के नरसंहार के सभी आरोपीयों को मुक्त किया गया। कहाँ जाता है की कानून अंधा होता है परंतु इस प्रकरण में न्यायाधीश जानबूझकर अंधे हो गए है। उच्च न्यायालय ने यह पहले से ही तय कर रखा था कि अपराधियों को बरी करना है। यह उच्च न्यायालय के निर्णय से समझ में आता है। न्यायालय ने इस के लिए जांच को गलत साबित किया और गवाहों को अविश्वसनीय ठहराया। जहां तक पुलिसिया जांच का प्रश्न है वह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि घटनास्थल बथानी टोला से केवल 1.5 किलोमीटर अंतर पर 3 पुलिस आऊट पोस्ट थे जहा 30 पुलिस कर्मी तैनात थे परंतु दिन दहाड़े कुछ घंटो तक जब वह खूनी खेल चल रहा था फिर भी कोई पुलिसकर्मी घटना स्थल पर नहीं आया। जब मिडिया ने घटना को उछाला तब पुलिस ने जांच शूरू की। जांच पूरी करने में और चार्ज शीट दाखिल करने में पुलिस ने 2 साल का लंबा समय लगाया । रणवीर सेना के सदस्यों के (अपराधीयों के) राजनेताओं से संबंध थे इसलिए जांच निष्पक्ष नहीं की गई। कोर्ट के आदेश के बावजूद पिड़ितों द्वारा अपराधियों की सीनाख्त परेड यह कहकर नहीं कराई गई कि लोग उसके लिए तयार नहीं थे, जबकि पिड़ीतों का यह कहना था कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। अंततः 10 साल बाद न्यायालय में सीनाख्त करवाई गई। स्वाभाविक रूप से इतने बड़े अंतराल के बाद बहुत से अपराधियों को पहचाना नहीं जा सका। इतने बड़े अंतराल के बाद गवाहों के बयानो में भी अंतर आना स्वाभाविक है। परंतु किशुन चौधरी के एफ. आई. आर. के दो गवाहों राधिका और पलटन राम ने ठीक वैसे ही गवाह न्यायालय में दी जैसे पुलिस को दी थी साथ ही उन्होंने अपराधियों को भी पहचान लिया। न्यायालय ने पहले एफ.आई.आर. की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाया, दूसरे आरोपियों कों बगैर सीनाख्त के गिरफ्तार किया और तीसरे उन्हें न्यायालय में दो दिन के विलंब से प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में पिड़ितों के बयान लेते वक्त अवांछित प्रश्न पुछकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर अपराधियों को बरी करना यही एक मकसद था । इस निर्णय के अनुसार किसी भी अपराधी ने हत्यायें नहीं की तब यह प्रश्न उठता है कि क्या हत्याये अपने आप हो गई? जातिद्वेष से ग्रस्त न्यायपालिका का यह सबसे बड़ा उदाहरण है।

रणवीर सेना तथाकथित ऊंची जाती के जमींदारों का संगठन था जिसका गठन 1994 में हुआ था । रणवीर सेना और मजदूर वर्ग के लोगों के बीच खूनखराबा अक्सर हुआ करता था। 1995 में रणवीर सेना को प्रतिबंधित किया गया था। परंतु उसे नहीं मानते हुए रणवीर सेना की अपराधिक गतिविधिया बरकरार थी। 1 जुलाई 1996 को बथानी टोला का जघन्य अपराध इसका उदाहरण था। इस घटना के 14 साल बाद आरा की निचली अदालत ने 5 मई 2010 को 68 अपराधियों में से 3 को फांसी तथा 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने निरस्त किया और सभी अपराधियों को बरी किया। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध पीड़ित और राज्य सरकार द्वारा दायर अपील 16 जुलाई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई, जिसमें अबतक कोई प्रगति नहीं हुई है।

एफ.आई. आर दर्ज करना अनिवार्य

सर्वोच्च न्यायालय के न्या.पी.सदाशिवम, न्या. रंजना प्रकाश देसाई, न्या. बी.एस. चौहाण, न्या. रंजन गोगोई, न्या. एस.ए.बोबड़े के संविधान पीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि दखलपात्र गुनाहों के लिए एफ. आई. आर. लिखने के लिए मना करता है तो ऐसे अधिकारी पर कार्यवाही होगी।

दखलपात्र गुनाह वह कहलाता है जिसके लिए 3 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा का प्रावधान है और जिसके लिए जांच अधिकारी गुनहगार को बर्बर वारंट गिरफ्तर कर सकता है। यदि शिकायतकर्ता प्रारम्भ में दखलपात्र गुनाहो के संबंध में नहीं बता पाता तो जांच अधिकारी यह जानने के लिए की गुनाह दखलपात्र है या नहीं प्रारम्भिक जांच कर सकता है। यह जांच करने के लिए अधिकारी एक सप्ताह से अधिक समय नहीं ले सकता।

न्यायालय ने किन शिकयतों में प्रारम्भिक जांच कर सकते है यह भी स्पष्ट किया है। विवाह संबंधी पारिवारीक वाद, व्यापारिक वाद, दहेज संबधी वाद, भ्रष्टाचार संबंधी और शिकायत दर्ज करने में अधिक

विलंब। यदि पुलिस यह मानती है की शिकायत की एफ. आई. आर.लिखना आवश्यक नहीं तो शिकायतकर्ता को सात दिन के भीतर बंद रिपोर्ट की प्रति देनी होगी। यदि जांच अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करते तो उनपर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

◗ विद्यालय में प्रार्थना के समय हाथ जोड़ना जरूरी नहीं

विद्यालय में ली जानेवाली प्रार्थना यदि किसी शिक्षक को उसके स्वयं के धर्म की शिक्षा से विपरीत लगती है तो उसे उस प्रार्थना में हाथ जोड़ना अनिवार्य नहीं। इस प्रकार का निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया है।

महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा हर विद्यालय में मूल्य शिक्षा पर आधारित 30 मिनट का पिरीयड लेना जिसमें प्रार्थना लेना अनिवार्य किया है। परंतु प्रार्थना के समय यदि कोई शिक्षक हाथ जोड़कर खड़ा नहीं रहता है तो उसका बर्तन अनुशासनहीन नहीं कहा जा सकता।

सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय, नासिक (महाराष्ट्र) के शिक्षक संजय आनंदा सालवे द्वारा दायर याचिका को मंजूर करते हुये मुंबई उच्च न्यायालय के न्या. अभय ओक तथा न्या. रेवती मोहिते ढेरे के खंडपीठ ने यह निर्णय दिया। संविधान के अनुच्छेद 28 और राज्य सरकार के माध्यमिक शाला संहिता के नियम 45 के अनुसार सरकारी और अनुदानित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती । विद्यालय में की जाने वाली प्रार्थना उनकी धार्मिक श्रद्धा के अनुरूप नहीं होने के कारण वह प्रार्थना के समय खड़े रहेंगे, हो सके तो उसका उच्चारण करेंगे परंतु हाथ नहीं जोड़ेंगे इस प्रकार की याचिका सालवे ने दायर की थी। निर्णय में यह कहा गया है कि, याचिकाकर्ता को संविधान द्वारा अपनी विवेकबुद्धि से व्यवहार करने का मूलभूत अधिकार दिया है इसलिए उन्हें अपना मत बदलने तथा प्रार्थना के समय हाथ जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि सालवे बौद्ध है।

यह निर्णय देते वक्त न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के बीजोय इम्यानुअल विरूद्ध केरल सरकार के निर्णय का सहारा लिया। इस निर्णय के अनुसार हर किसी ने राष्ट्रगीत कहना चाहिए ऐसा कानून नहीं है। सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रगीत होते समय केवल मौन धारण कर खड़े रहने से राष्ट्रगीत का अपमान नहीं होता.

◗ सरकारी नौकर अपने वरिष्ठों तथा मंत्रियों के मौखिक आदेश का पालन न करें

83 सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर निर्णय देते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिविल सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना, तबादले, पदोन्नत्ति और अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्णय सिविल सेवा बोर्ड द्वारा लेना चाहिए। इस प्रकार के बोर्ड का गठन संसद द्वारा 3 माह के भीतर करना होगा। न्यायालय ने कहा की बार-बार पदस्थापना और तबादलों के कारण प्रशासकीय कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता। कम से कम सेवा अवधि तय होनी चाहिए जिससे उस अवधि में कार्यक्षम तथा बेहतर सेवा का निर्वहन किया जा सके। साथ ही अधिकारी गरीब और वंचित लोगों के लिए बनाये प्रावधानों पर विशेष रूप से अमल कर सके। सिविल सेवा अधिकारी वरिष्ठों तथा मंत्रियों के मौखिक आदेश का पालन न करे क्योंकि इससे वसीलेबाजी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तथा सुचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य का भी उल्लंघन होता है।

नौकरशाही पर राजनीतिक दबाव कम हो तथा शासकीय कार्य बेहतर हो इसलिये सर्वोच्च न्यायालय के न्या. के.एस.राधाकृष्णन तथा न्या . पिनाकी चन्द्र घोष के खंडपीठ द्वारा दिये गए इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। राजनेताओं के कारण सताये जा रहे नौकरशाही को इस निर्णय से कुछ राहत मिल सकती है परंतु जातिद्वेष के कारण सताये जा रहे लोगों को कब राहत मिलेगी ? यह प्रश्न इस भारतीय व्यवस्था में हमेशा ज्वलंत रहेगा।

◗ कांची पीठ के शंकराचार्य दोषमुक्त

कांची पीठ के वर्धराज मंदिर के व्यवस्थापक शंकर रामन की हत्या के आरोपी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, उनका भाई विजयेन्द्र और 23 अन्य आरोपियों को पुद्युचेरी सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त किया है। 3 सितंबर 2004 को मंदिर परिसर में हत्या की गई थी। सभी आरोपियों पर हत्या की साजिश का आरोप था। न्यायालय का कहना है गवाह आरोपियों को पहचान नहीं सके। साजिश में लिप्त आरोपियों को नहीं पहचान सकने या साजिश का आरोप सिद्ध नहीं कर सकने के कारण क्या खूनी दोषमुक्त हो सकता है? यह बात किसी के भी समझ से परे है। आखिर किसी ने तो खून किया है। क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए ? इस निर्णय से तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय के पीछे भी कोई साजिश है।

समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम

❑ **पुरस्कार वितरण कार्यक्रम :**

बुद्ध धम्म प्रचार समिति कि सहयोगी संस्था डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंथन समिति द्वारा वर्ष 2013 में सम्पन्न अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को दिनांक 12 अक्तुबर 2013 को दीक्षाभूमी, नागपुर पर पुरस्कार वितरित किए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भदन्त आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई ने की तथा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. नीलिमा चौहान थी। राज्यों से प्रथम स्थान पाने वाले जूनियर तथा सीनियर परीक्षार्थी को प्रत्येकी 2000/- रूपये नगद, स्मति चिन्ह तथा प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परीक्षा-2013, चान्दूर बाजार केन्द्र

❑ **बुद्ध धम्म प्रचार समिति द्वारा प्रतिवर्ष बुद्ध धम्म संदेश रैली के माध्यम से धम्म प्रचार किया जाता है।**

इस वर्ष एक गाड़ी के माध्यम से 4 माह तक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, और छत्तीसगढ़राज्य में तथा दूसरी गाड़ी के माध्यम से 3 माह तक मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और राजस्थान राज्य में धम्म प्रचार किया जाएगा। प्रथम गाड़ी 15 अक्तुबर 2013 को दीक्षाभूमी, नागपुर से प्रारम्भ हुई तथा दूसरी गाड़ी 17 नवंबर 2013 को धम्मगिरि, काजलवाणी से प्रारम्भ हुई। कार्यकर्ताओं द्वारा गावों तथा शहरों में धम्म प्रवचन किये जाते है और साहित्य

वितरण किया जाता है। स्थानीय लोग बड़े उत्साह के सम्मिलित होते है और बुद्ध तथा बाबासाहेब के विचारों को गंभीरता से सुनते है। इस प्रतिसाद के कारण भारत बौद्धमय होगा ऐसी आशा की जा सकती है।

भन्ते आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई तथा आयु. हनुमंत उपरे रैली को धम्मध्वज दिखाते हुए।

महापरिनिर्वाण दिन समारोह

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिन को बुद्ध धम्म प्रचार समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प दिन के रूप में मनाया। 6 दिसंबर 2013 को समिति के कार्यकर्ता धम्मगिरि, काजलवाणी, त. सौंसर, जि. छिंदवाड़ा पर एकत्रीत होकर बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिए गये संकल्प ''मैं संपूर्ण भारत बौद्धमय करूंगा'' इसे दोहराया और भारत बौद्धमय करने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया।

समिति द्वारा आगामी कार्यक्रम

1) **बुद्ध धम्म महोत्सव :**

दिनांक 12,13 और 14 फरवरी 2014 को धम्मगिरि, काजलवाणी, तह. सौसर, जि. छिन्दवाड़ा (म.प्र.) में बुद्ध धम्म महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। धम्मगिरि, काजलवाणी नागपुरसे छिन्दवाड़ा रोड पर 70 कि.मी. की दूरी पर है। बुद्ध धम्म महोत्सव की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर धम्म ज्ञान प्राप्त करे।

बुद्ध धम्म महोत्सव

12,13 और 14 फरवरी, 2014

स्थान : धम्मगिरि, काजलवाणी, त. सौंसर, जि. छिन्दवाडा (म.प्र.)

बुधवार दिनांक : 12 फरवरी 2014

10.00 बजे बुद्ध धम्म महोत्सव का उद्घाटन

उद्घाटक : **भदन्त आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई**

12.00 से 1.00 बजे तक बौद्ध-भीम गीत

1.00 से 4.00 बजे तक बौद्ध युवा सम्मेलन

विषय : *'बाबासाहेब का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए तथा बुद्ध धम्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए युवाओं का कर्तव्य'*

अध्यक्ष : आयु. कपिल सरोदे (महाराष्ट्र)

वक्ता : आयु. प्रशांत सुखदेवे (छत्तीसगढ)
आयु. चंद्रमोहन गौतम (उत्तरप्रदेश)
आयु. धम्मप्रिय एम.आर. प्रशांत (उड़िसा)
आयु. अमोलकुमार बोधीराज (महाराष्ट्र)
आयु. अत्तदीप अंबादे (महाराष्ट्र)

4.00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम

महेंद्र राज और संच, आगरा द्वारा संगीतमय प्रबोधन

गुरूवार दिनांक : 13 फरवरी 2014

11.00 से बौद्ध महिला सम्मेलन

1.30 बजे तक प्रथम सत्र

विषय : *अंधविश्वास, चमत्कार, पूजापाठ, संस्कार और त्योहार से मुक्त होकर ही बुद्ध धम्म का आचरण संभव है'*

अध्यक्ष : प्रा. डॉ. निलिमा चौहान, पुणे, (महाराष्ट्र)

वक्ता : आयु. पुष्पा गडपायले, सामाजिक कार्यकर्ता, नागपुर
आयु. संध्या राजूरकर, सामाजिक कार्यकर्ता, नागपुर.

1.30 से **द्वितीय सत्र**

4.00 बजे तक **विषय** : ***'बाबासाहेब का आंदोलन आगे बढाने के लिए तथा बुद्ध धम्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए महिलाओं का कर्तव्य'***

अध्यक्ष : आयु. डॉ. कुसूम मेघवाल, सामाजिक कार्यकर्ता (राज.)

वक्ता : आयु. मधुलिका गौतम, सामाजिक कार्यकर्ता (महा.)
आयु. मनोरमा बौद्ध, सामाजिक कार्यकर्ता, (उ.प्र.)

4.00 बजे से **सांस्कृतिक कार्यक्रम**

'अब हालात काबु मे है' (नाटक)

प्रस्तुती : आयु. पल्लवी केवल जिवनतारे एवं संच, नागपुर

शुक्रवार दिनांक : 14 फरवरी 2014

11.00 से 12.00 बजे तक **भीम - बुद्ध गीत**

12.00 से 4.00 बजे तक **धम्म प्रबोधन सत्र**

अध्यक्ष : आयु. हनुमंत उपरे,
पिछड़ा वर्ग द्वारा धम्म दीक्षा अभियान के मार्गदर्शक

विषय : ***'बाईस प्रतिज्ञा- बौद्धों की आचार संहिता '***

वक्ता : धम्मचारी अमृतसिद्धी

विषय : ***बुद्ध धम्म का प्रचार-प्रसार करना ही मानवता की सेवा करना है!***

वक्ता : एड. शिवराज कोळीकर

विषय : ***'बुद्ध की सामाजिक क्रांति'***

वक्ता : आयु. राहुल वानखेडे

विषय : ***बुद्ध की सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा कल्याणकारी है - ध्यान, साधना, अभिधम्म घातक है।***

वक्ता : आयु. राजु कदम

4.00 बजे से **सांस्कृतिक कार्यक्रम**

विनोद कुमार और संच, हिंगणी द्वारा संगीतमय प्रबोधन

बुद्ध धम्म प्रचार समिति का आय-व्यय विवरण वित्तीय वर्ष 2012-13

प्रारंभिक बाकी			प्रचार खर्च		5,50,904.00
नगद	85,108.00		साऊन्ड सिस्टम		3 ,270.00
बैंक में जमा	17,058.27	1,02,166.27	टेन्ट हाऊस		2,720.00
दान		3,04,499.00	लोन वापस		50,000.00
सदस्यता		8,050.00	अंतिम बाकी		
साहित्य वितरण		2,02,400.00	नगद	5019.00	
बैंक ब्याज		448.00	बैंक में जमा	5650.27	10,669.27
कुल		**6,17, 563.27**			**6,17,563.27**

दान दाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत छुट प्राप्त होगी।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंथन समिति

अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परीक्षा-2014

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ 'बुद्ध और उनका धम्म' पर आधारित अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परीक्षा-2014 के आवेदन पत्र का वितरण जारी है। इस परीक्षा संम्बधी विवरण निम्नानुसार है।

आवेदन पत्र भरने की आखरी तिथि	: 10 फरवरी 2014
आयु सिमा	: जूनियर ग्रुप- 18 वर्ष तक (10 अगस्त 1996 या बाद की जन्म तिथि) सिनियर ग्रुप - 18 वर्ष से अधिक (10 अगस्त 1996 के पहले की जन्म तिथि)
परीक्षा फी	: 50/- रूपये (नये आवेदकों के लिये) 25/- रूपये (पुराने आवेदकों के लिये)
परीक्षा का माध्यम	: मराठी, अंग्रेजी एवं हिन्दी
परीक्षा तिथि एवं समय	: 10 अगस्त 2014, सुबह 11.00 बजे से दोप.12.30 बजे तक
परीक्षा स्थल	: केन्द्र प्रमुख के द्वारा नियोजित स्थानीय भवन
परीक्षा का परिणाम	: 10 सितम्बर 2014
पुरस्कार वितरण तिथि,समय एवं स्थान	: 2 अक्तुबर 2014, शाम 5.00 बजे, दीक्षाभूमी, नागपुर (स्टॉल नं. 165,166)
पुरस्कार	: राज्य में प्रथम जूनियर तथा सिनियर को 2000/- रूपये नगद, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाणपत्र

नोट : 1) इस परीक्षा के लिये सभी समुदाय के लोग आवेदन कर सकते है।

2) प्रत्येक केन्द्र प्रमुख द्वारा कम से कम 20 व्यक्तियों के आवेदन भरना अनिवार्य होगा।

3) नये आवेदकों को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ 'बुद्ध और उनका धम्म' निःशुल्क दिया जायेगा।

4) जूनियर ग्रुप और सिनियर ग्रुप के प्रश्न पत्र अलग-अलग होगे।

5) 25 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी परीक्षार्थीयों को प्रमाणपत्र दिये जायेगे।

6) परीक्षा का संचालन स्थानिय केन्द्र प्रभारी के माध्यम से होगा।

केन्द्र प्रभारी के कार्य :

1) पर्चे छपवाकर तथा अन्य प्रचार माध्यमों से अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परीक्षा-2014 का प्रचार-प्रसार करना।

2) समिति से समय पर आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं उन्हें आवेदकों को वितरीत करना।

3) आवेदकों से उनके द्वारा भरे हुये आवेदन पत्र आवेदन फी के साथ प्राप्त करना।

4) आवेदन पत्र की काऊंटर फाईल भरकर एवं हस्ताक्षर कर आवेदकों को देना। काऊंटर फाईल ही आवेदकों का प्रवेश पत्र होगा और उस पर अंकित नंबर उनका रोल नंबर होगा, यह जानकारी आवेदकों को देना।

5) आवेदन पत्र के साथ आवेदकों की सुची (ज्युनियर और सिनियर की अलग-अलग) आवेदन भरने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर भेजना/ पहुंचाना।

6) परीक्षा के प्रचार-प्रसार एवं परीक्षा संचालन हेतु सभी खर्चो के लिए केन्द्र प्रभारी आवेदकों से प्राप्त आवेदन शुल्क में से प्रती आवेदन 5/- रूपये अपने पास रखकर शेष राशी का ड्राफ्ट/चेक द्वारा **'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंथन समिति'** के नाम से बनाये और समिति को भेजे। किसी व्यक्तिगत नाम से ड्राफ्ट/चेक स्विकार नहीं किया जाएगा। आवेदन फी का भुगतान नगद भी किया जा सकता है।

7) **''बुद्ध और उनका धम्म''** यह ग्रंथ समिति से प्राप्त करना और नये आवेदकों को वितरित करना।

8) परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था करना तथा केन्द्र का नाम और पता परीक्षार्थीयों को सूचित करना।

9) परीक्षा केन्द्र पर उचित व्यवस्था करना, प्रश्न पत्रों की गोपनियता रखना, नकल नहीं होने देना, उपस्थिति पत्रक बनाना और उस पर परीक्षार्थीयों के हस्ताक्षर लेना, परीक्षा समयावधि में सम्पन्न करना, परीक्षा केन्द्र में प्रश्न पत्र का लिफाफा परीक्षार्थीयों की उपस्थिति में खोलना तथा उत्तर पुस्तिका और उपस्थिति पत्रक भी परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षार्थीयों की उपस्थिति में लिफाफे में सील बंद करना। अनियमितता पाने पर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा।

10) उत्तर पुस्तिका और उपस्थिति पत्रक का सीलबंद लिफाफा समिति को भेजना।

11) समिति द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार सर्वाधिक अंक प्राप्त करनेवाले परीक्षार्थियों को सुचित करना, पुरस्कार वितरण समारोह की सूचना देना, पुरस्कार वितरण समारोह में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करना और प्रमाणपत्र वितरित करना। केन्द्र प्रमुख या उनके प्रतिनिधी द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित रहना अनिवार्य है।

परीक्षा सम्बन्धी सभी जानकारी, सामग्री प्राप्ती एवं पत्र व्यवहार हेतु पता -

हृदेश सोमकुवर,

363, बाबा बुद्धाजी नगर, कामठी रोड,

नागपुर (महाराष्ट्र) - 440 017.

मोबाईल नं. 9860282936, 9970616106